BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1080 of 2024

IN THE MATTER OF:-

Anita and Anr …Applicants

Versus

State of Chhattisgarh …Respondent(s)

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Report dated 16.12.24 of Joint Committee constituted for compliance of order dated 07.11.2024 along with Annexures, by representative of MoEF&CC	1-83

Filed by:

Charu Singhal

[CHARU SINGHAL]
Advocate
Enrolment No. D/1224-E/1995
Counsel for MoEF&CC Respondent No.7
228, M.C. Setalvad Lawyers' Chamber
Supreme Court of India,
NEW DELHI-110001
Mb.9810720565

New Delhi;
Filed on: 20.12.2024

File No. CC-12008/18/2024-IPCC & NATCOM
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(NATCOM CELL)

Dated the 16th December 2024

2504/2024/AFA(SB) 17/12/2024

Subject: Original Application No. 1080 of2024 in the matter of Anita and Anr. Vs State of Chhattisgarh and ors in the Hon'ble NGT(PB), New Delhi. Submission of Committee report reg..

This is with reference to the MOEFCC Order vide File No. FC-7/35/2024-FC dated 25.11.2024 regarding Original Application No. 1080 of 2024 in the matter of Anita and Anr. Vs State of Chhattisgarh and ors in the Hon'ble NGT(PB), New Delhi. Please find enclosed herewith the Report of the Committee constituted for compliance.

Regards,

Yours Sincerely

16/12/24

(SHARATH KUMAR PALLERLA)
Scientist 'G'

Sc. E(CJT) 16/12/24

May like to see pl
16/12/24

AIG(FC)

As discussed
Sci E (CJS)
17/12/24

To,

Shri S. Sunder,
Assistant Inspector General (FC),
Ministry of Environment Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh, New Delhi-110003

CC to: **DG(Forest)**

All Committee Members

17/12/24
Shams Abbas, LC

Factual report as per the Order dated 07/11/2024 passed by the Hon'ble Tribunal in OA 1080/2024 on the complaint of alleged illegal cutting of around 15000 trees in Hasdev forest for carrying out proposed coal mining project of Parsa East, District Kele Bason.

Vide Order FC-7/35/2024-FC dated 25th November 2024 of Ministry of Environment Forest and Climate Change and subsequent nomination of the representatives, the following committee has been constituted in respect of the order in OA 1080/2024 dated 07/11/2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal.

1. Sh. Nazimuddin, Scientist-F, Central Pollution Control Board (Representative of Central Pollution Control Board (CPCB))
2. Sh. Pramendra Shekar Pandey, Regional Officer, CECB, Korba (Representative of Member Secretary, Chhattisgarh Environment Pollution Control Board (CECB));
3. Sh. Ajeet Vasant, IAS, District Magistrate, Korba, State of Chhattisgarh;
4. Sh. Vilas Bhoskar, IAS, District Magistrate, Sarguja, State of Chhattisgarh
5. Sh. C B Tashildar, IFS, Assist Inspector General of Forest (Central), Integrated Regional Office (IRO), MoEFCC, Nagpur (Representative of Director General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (MoEFCC), New Delhi)
6. Dr. Ankur Awadhiya, IFS, Dy. Director, FSI, Dehradun (Representative of Director General, Forest Survey of India, Dehradun); and;
7. Sh. Sharath Kumar Pallerla, Scientist-G, MoEFCC (Representative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

Sh. Ajeet Vasant, IAS, District Magistrate, Korba, State of Chhattisgarh, informed that the said area is outside the jurisdiction of the Korba District and, therefore, did not participate in the meeting(s).

The principal facts in the case are highlighted in the first paragraph of the Hon'ble Tribunal's order as: "Citizens Action Group of India has sent a letter petition dated 19.01.2014 complaining about illegal cutting of more than 15,000 trees in Hasdev forest which comes within district Korba and Sarguja of State of Chhattisgarh for carrying out proposed coal mining project of Parsa East, District Kele Bason."

Since the members of the Joint Committee serve at different locations, a meeting of the members of the Joint Committee was held on 3rd December 2024 at 11.30 AM through Video Conference wherein details about the said complaint were discussed at length. An approach for factual verification of the complaint was discussed, which included documentary verification, followed by field verification, if necessary. It was decided that upon the outcome obtained from the documentary verification, the committee would meet again and decide on the field verification if necessary.

The following documents relevant to the case were collected and perused by the Committee:

a. Permission for Phase-II Mining Operation dated 02/02/2022 accorded by the MoEF&CC, New Delhi under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980, for diversion of 1898.328 ha of forest land (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja District of Chhattisgarh-grant of permission for mining over phase-II area (**Annexure 1**).
b. Permission for Phase-II Mining Operation dated 25/03/2022 accorded by the State of Chhattisgarh for non-forestry use of 1898.328 ha of forest land (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of M/s Rajasthan Rajya

Vidyut Utpadan Nigam Limited in Villages Parsa and Kete, Tahsil Udaipur, District Sarguja, Chhattisgarh- (**Annexure 2**)

c. Approval for felling of 15,307 trees vide Office of HoFF's letter number 14/उता-1/536/2022-कटाई अनु°क° 51/1833 dated 11/12/2023- (**Annexure 3**)

d. Direction of CCF Surguja to DFO Surguja in reference to the felling of 15,307 trees vide Office of CCF Surguja's letter number मा°चि°/न°क°-08/2023/7056 dated 12/12/2023- (**Annexure 4**)

e. Report by the Divisional Forest Officer, Sarguja on Parsa East Kete Basen Coal Project under Sarguja Forest Division, Range Udaipur of Sarguja District (**Annexure 5**).

f. Satellite Imagery Report from the Forest Survey of India (FSI), Dehradun (**Annexure 6**).

The Committee met again on 9th December 2024 at 4.30 PM and 12th December 2024 at 4.30 PM through Video Conference to deliberate based on the documents and report of DFO Sarguja and FSI Dehradun.

Observations of the committee:

- The Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited had applied for the diversion of 1898.328 ha of forest land (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) located in villages Parsa and Kete Bason, District Surguja for captive coal block open cast mining.

- The Divisional Forest Officer, Surguja, provided the details of tree felling for Phase-I and Phase-II of the PEKB coal mine block in a letter dated 9.12.2024, which is placed as Annexure-5. 15307 trees were felled in the Ninth year 2022-23 till 2024. The relevant portion is shown in the table below.

Table: Details of tree cutting till date

Phase and related approval by MoEF&CC	Area approved for mining (ha)	Details of tree cutting till date				Period of tree felling
		Area marked for tree cutting (ha)	No. of trees marked for felling	No. of trees felled till date	No. of trees retained	
Phase-II. Final approval accorded by the MoEF&CC vide letter F.N 8-31/2010-FC dated 02.02.2022	**1136**	43.63	7960	7960	0	Ninth year 2022-23
		91.130	**15307**	**15307**	**0**	**Ninth year 2022-23 till 2024**
		74.130	10944	10944	0	Tenth year 2024-25
	PHASE-II TOTAL	208.89	34211	34211	0	-

- A time series of satellite imagery provided by the Forest Survey of India, Dehradun, reveals the location of tree felling (**Annexure 6**). Relevant imageries of years 2022, 2023, and 2024 are placed below:

- 2022

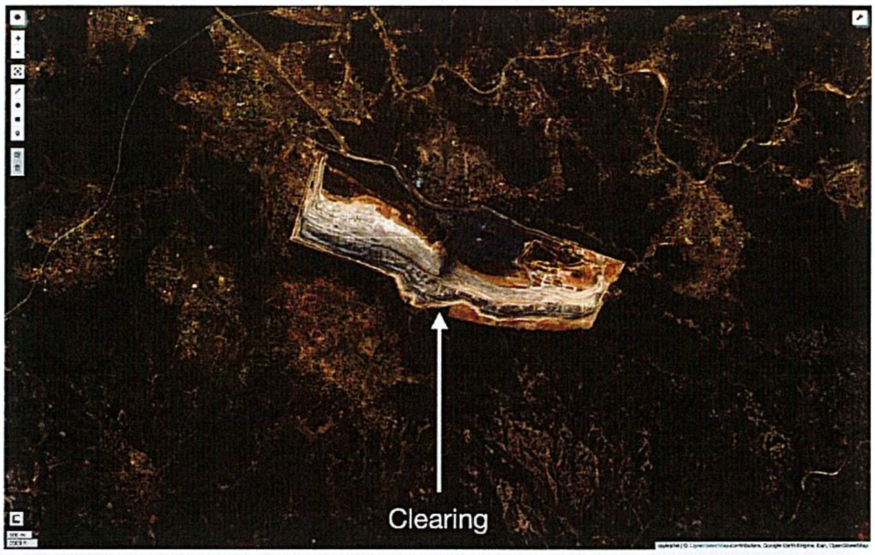

- 2023

- 2024

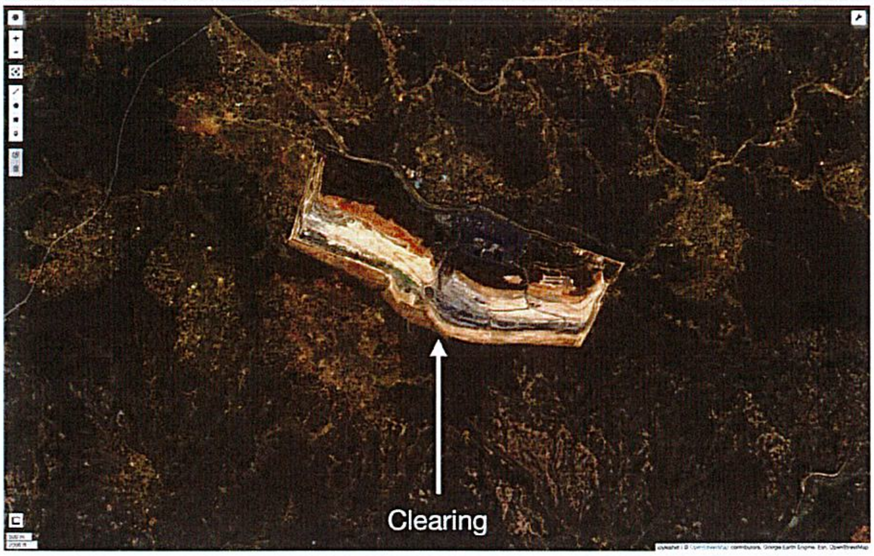

- The committee deliberated on the above documentary evidence and felt that the field visit was not necessary in light of the above evidence.

Conclusion: The letter petition before the Hon'ble NGT pertains to tree felling for PEKB Coal Block. It is found that the State Forest Department has carried out tree felling during 2022-2024. The permission for Phase-II coal mining operations was accorded by the MoEFCC on 02.02.2022 and the State of Chhattisgarh on 25.03.2022, followed by consequential orders by APCCF (Production) and CCF Surguja.

Sh. Nazimuddin, Scientist – F
(Representative of CPCB)

Sh. Pramendra Shekar Pandey,
RO, Korba (Representative of CECB)

Sh. Vilas Bhoskar, IAS,
District Magistrate, Sarguja,
State of Chhattisgarh

Sh. C B Tashildar, IFS,
AIG (Central), IRO, MoEFCC, Nagpur
(Representative of DGF, MoEFCC)

Pages 3 and 4 pertaining to FSI signed. Ankur 16/12/24

Dr. Ankur Awadhiya, IFS,
Dy. Director, FSI, Dehradun
(Representative of DG, FSI)

Sh. Sharath Kumar Pallerla,
Scientist-G, MoEFCC
(Representative of MoEFCC)

6

Annexure - 1

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira ParyavaranBhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: 02.02.2022

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhavan,
New Raipur, Chhatishgarg

Sub: Proposal for non-forestry use of 1898.328 ha of forest and (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL), in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh- grant of permission for mining over Phase-II area- reg.

Sir,

I am directed to refer to the State Government letter no. 5-04/2010/10-2 dated 22.02.2021 and Ministry of Coal, Government of India's letter No. 103/13/2015/NA dated 23.11.2021 on the above subject seeking approval of the Central Government for grant of approval for Phase-II mining operations in the balance area of 1136 ha of forest land in Parsa East and Kete Basan Coal Block and Government of Chhattisgarh's letter no. 5-17/2018/10-2 dated 8.10.2021 forwarding a copy of report on Biodiversity Assessment Study and to inform that proposal of the State Government has been considered by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section - 3 of the aforesaid Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the Central Government hereby accords approval for commencing Phase-II mining operation in the balance area of 1136 ha of forest land in respect of proposal involving non-forestry use of 1898.328 ha of forest and (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of RRVUNL, in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh subject to fulfilment of following conditions:

i. The recommendation in the Biodiversity Assessment Report (BAR) have been made keeping in view the comprehensive scenario of current production levels, biotic interference, mitigating measures, etc vis-à-vis impact on surrounding resources. Therefore, no further changes in the Mining Plan vis-a-vis land use shall be effected by the user agency without the prior approval of Central Government.

ii. The recommendations made in the BAR shall be incorporated into the Wildlife

आवक क्र. 714
11/2/22

362
15/02/2022

Management Plan and the same shall be implemented by the State Forest Department at the project cost.

iii. Quarterly site inspection on compliance of conditions shall mandatorily be done jointly by Ministry, IRO (Raipur) and State Forest Department and the observations/findings shall be submitted to Ministry.

iv. Grant of permission for mining operations in the Phase-II area of 1136 ha is subject to change as per the directions of Hon'ble Supreme Court, as may be directed in final decision, in Civil Appeal 4395 of 2014.

v. The user agency, in consultation with the State Forest Department, will strengthen the provision for appropriate financial outlay for the establishment and effective functioning of Rescue and Rehabilitation team to mitigate human-wildlife conflicts.

vi. The State Government and the user agency shall ensure that concerned orders/directions of Courts/Tribunals, relevant provisions of all concerned Acts, Rules, Regulations and Guidelines pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

vii. Biodiversity restoration should be integral part of mining site rehabilitation and User Agency should submit annual progress report on rehabilitation of mined up areas following best practices and afforestation measures to IRO for information and verification.

viii. State Government shall ensure that conditions stipulated in the Stage-II approval dated 15.03.2012 be complied with by the user agency; and

ix. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the provisions made under the Act and Forest (Conservation) Rules.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forest (PCCF), Aranya Bhavan, Sector 19, North Block, New Raipur- 492002 Chhattisgarh.
2. Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Naya Raipur
3. Nodal Officer (FCA), Jail Road, Aranya Bhavan, Raipur.
4. User Agency
5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC
6. Guard file

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–04/2010/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः— Proposal for non-forestry use of 1898.328 ha of forest land and (1654.109 ha of revenue forest land and 224.219 ha of notified forest land) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL),in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh- grant of permission for mining over Phase-II area-reg.

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-31/2010 FC, दिनांक 02.02.2022।

——00——

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-31/2010 FC, दिनांक 02.02.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB) से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase II के तहत् 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।

2/— भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अनुमति में अधिरोपित निम्न शर्तो के पालन करने की शर्त पर राज्य शासन एतद् द्वारा सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB) से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase II के तहत् 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) को निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करता है :—

1. The recommendation in the Biodiversity Assessment Report (BAR) have beeen made keeping in view the comprehensive scenario of current production levels, biotic interference, mitigating measures, etc vis-a-vis impact on surrounding resources.Therefore, no further changes in the Mining Plan vis-a-vis land use shall be effected by the user agency without the prior approval of Central Government.
2. The recommendations made in the BAR shall be incorporated into the Wildlife Management Plan and the same shall be implemented by the Nodal Officer FCA 1980 at the project cost.
3. Quarterly site inspection on compliance of conditions shall mandatorily be done jointly by Ministry, IRO (Raipur) and Nodal Officer FCA 1980 and the observations/findings shall be submitted to MoEF&CC New Delhi.
4. Grant of permission for mining operations in the Phase-II area of 1136 ha is subject to change as per the directions of Hon'ble Supreme Court, as may be directed in final decision, in Civil Appeal 4395 of 2014.

क्रमशः : 2

5. The user agency, in consultation with the State Forest Department, will strengthen the provision for appropriate financial outlay for the establishment and effective functioning of Rescue and Rehabilitation team to mitigate human-wildlife conflicts.
6. The Nodal Officer FCA 1980 and the user agency shall ensure that concerned orders/directions of Courts/Tribunals, relevant provisions of all concerned Acts, Rules, Regulations and Guidelines pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
7. Biodiversity restoration should be integral part of mining site rehabilitation and User Agency should submit annual progress report on rehabilitation of mined up areas following best practices and afforestation measures to IRO for information and verification.
8. Nodal Officer FCA 1980 shall ensure that conditions stipulated in the Stage-II approval dated 15.03.2012 be complied with by the user agency; and
9. Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the provisions made under the Act and Forest (Conservation) Rules.

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken accordingly.

The Nodal Officer (FCA) 1980 Chhattisgarh shall ensure compliance of all the above conditions.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
K.Rajput 25.3.22
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–04/2010/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता राजस्थान, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

Annexure - 3 10

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

(शाखा–उत्पादन)

फोन नं.0771-2512822 ई–मेल apccf-production.cg@gov.in

क्रमांक/14/उत्पा1/536/2022-कटाई अनु क.-51/1833 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/12/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय :- Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg.

(वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एण्ड केते बासेन कोल परियोजना से कोल उत्खनन कार्य हेतु Phase-II के तहत 9वें वर्ष द्वितीय चरण हेतु कक्ष क्रमांक पी. 2003, पी. 2004, पी. 2005 एवं पी. 2016 , कुल रकबा 91.130 हे. वनभूमि में खडे वृक्षों के विदोहन की अनुमति बावत)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 06.07.2011 (प्रथम चरण) एवं पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 15.03.2012, पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 02.02.2022 (द्वितीय चरण)
3. छत्तीसगढ़ शासन,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 28.03.2012 एवं पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण)
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दिनांक 04.04.2022 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023
5. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा का पत्र क्रमांक/तक.अधि./172 दिनांक 08.12.2023

-:0:-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2023 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) के अनुसार द्वितीय चरण (Phase-II) हेतु स्वीकृत रकबा 1136 हे. में से 91.130 हे. सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन क्षेत्र के 9वें वर्ष से संबंधित प्रकरण के तहत संरक्षित भूमि में प्रभावित 15307 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें दर्शित विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमशः 2 ......

(२)

1.1/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र-ख) निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	रिमार्क (चिन्हित ठूंठ पोलार्ड वृक्ष संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2003	16.800	3555	40
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2004	40.920	7464	76
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2005	24.090	2373	26
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2016	09.320	1915	25
योग					**91.130**	**15307**	**167**

1.2/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ख 01) निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2003	16.800	साल	997	483.050	178.751	661.801
						बीजा, तिनसा, शीशम, खम्हार	2	0.025	0.018	0.043
						हल्दु, मुंडी कसाई,	2	0.561	1.402	1.963
						साजा, अर्जुन	24	5.775	4.166	9.941
						अन्य	2530	165.568	184.741	350.309
योग :-							3555	654.979	369.078	1024.057

क्रमशः 3 ......

अनु. क्र	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/ संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (है में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2004	40.920	साल	2225	1837.151	575.058	2412.209
						बीजा, तिनसा, शीशम, खम्हार	16	2.280	4.351	6.631
						हल्दू, मुंण्डी कशाई,	2	0.361	0.904	1.265
						साजा, अर्जुन	94	47.984	21.583	69.567
						अन्य	5127	474.972	500.548	975.52
योग :-							7464	2362.748	1102.444	3465.192
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2005	24.090	साल	777	657.832	194.566	852.398
						बीजा, तिनसा, शीशम, खम्हार	9	2.101	2.400	4.501
						हल्दू, मुंण्डी कशाई,	0	0	0.000	0
						साजा, अर्जुन	1	0.5	0.125	0.625
						अन्य	1586	190.127	198.938	389.065
योग :-							2373	850.560	396.029	1246.589
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2016	09.320	साल	653	129.222	80.468	209.69
						बीजा, तिनसा, शीशम, खम्हार	5	0.021	0.051	0.072
						हल्दू, मुंण्डी कशाई,	1	0.064	0.159	0.223
						साजा, अर्जुन	20	1.505	1.388	2.893
						अन्य	1236	51.296	68.314	119.61
योग :-							1915	182.108	150.38	332.488
कुल योग :-							15307	4050.395	2017.931	6068.326

टीप :- मु.व.सं. सरगुजा के संदर्भित पत्र मा.चि./न.क्र.-08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023 से प्रस्तुत प्रस्ताव विदोहन प्रकरण में उल्लेखित चिन्हित ठूंठ गोलाई एवं अनुमानित उत्पादन को सम्मिलित कर विदोहन की कार्यवाही की जाये।

क्रमशः 4 ......

1.3/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र -ग में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु क	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि)	ग्राम का नाम	खसरा क	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							कमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-निरंक -									

1.4/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ग-01 में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि/ नारंगी वन क्षेत्र)	ग्राम का नाम	खसरा क.	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
							प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- निरंक -											

1.5/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में विदोहित किए जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र- घ) निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा कमांक	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनुमति से विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							कमांक/ दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- निरंक -									

क्रमशः 5 ......

14
I

(5)

1.6/- परिवहन, कटाई एवं ढुलाई व्यय हेतु पी.डी. खातें में जमा किए गए राशि का विवरण (प्रपत्र- ड.) :-

वनमण्डल	चालान क्रमांक/ डी.डी.क्र.	दिनांक	जमा खाते का विवरण पत्र क्र./ दिनांक	राशि का विवरण परिवहन, कटाई एवं ढुलाई (राशि रु में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
सरगुजा	डी.डी.क्र. - 923594	07.12.2023		4,35,00,000/-	मु.व.सं. सरगुजा के संदर्भित पत्र खा.नि./न.क्र. -08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव विदोहन प्रकरण में उल्लेखित व्यय अनुसार कार्यवाही की जावे। इसकी चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे।
योग				4,35,00,000/-	

1.7/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वृक्षों के विदोहन हेतु अब तक दी गई स्वीकृति का विवरण (प्रपत्र - च) :-

अनुक्रमांक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा अब तक जारी अनुमति का विवरण		रिमार्क
	क्रमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2		4
1	560/31.03.2012	21465	222.100 (प्रभावित रकबा हे.में)
2	792/10.06.2015	14173	254.243 (प्रभावित रकबा हे.में)
3	2284/27.12.2017	677	52.199 (प्रभावित रकबा हे.में)
4	1201/29.06.2018	15224	59.760 (प्रभावित रकबा हे.में)
5	2359/31.12.2019	10779	70.150 (प्रभावित रकबा हे.में)
6	1431/14.12.2020	13133	95.442 (प्रभावित रकबा हे.में)
7	1596/05.05.2022	7960	43.630 (प्रभावित रकबा हे.में)
योग :-		83411	797.524

2/ उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत **Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area** हेतु 9वें वर्ष के द्वितीय चरण (Phase-II) हेतु स्वीकृत रकबा 1136 हे. में से 91.130 हे. वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत दी गई सशर्त अनुमति एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023 द्वारा प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की अनुशंसा की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तालिका संदर्भित पत्र क्र. 01 में दर्शाये विवरण के अनुसार संरक्षित वनभूमि के रकबा 91.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रमशः 6 ......

15

XI

(6)

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-2) द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तें एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाने की शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाये।

(3) मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना अनुसार, प्रकरण अंतर्गत 15307 नग वृक्ष के विदोहन योजना अंतर्गत होने वाले व्यय जिसमें कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि व्यय शासन व विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर आवेदक संस्थान के द्वारा सरगुजा वनमण्डल के पी.डी. खाते में जमा की गई राशि से किया जावे।

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स./का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(5) विदोहन योजना के संबंध में समय-समय पर भारत शासन/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा जारी निर्देशो का पालन भी किया जावे।

(6) उपरोक्त प्रकरण में संबंधित संस्थान द्वारा सरगुजा वनमण्डल हेतु व्यय राशि डी.डी.क्र 923594 दिनांक 07.12.2023 राशि रू. **4,35,00,000/-** व्यय किया जावेगा, जिसमें प्रकरण अंतर्गत कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि हेतु होने वाले संभावित व्यय हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2023 के दर्शित विवरण अनुसार कार्य किया जावें। पी.डी. खाता में निर्धारित मद 8443, सिविल डिपोजिट 106 मद अंतर्गत चालान जमा होने के उपरांत ही व्यय की कार्यवाही की जाये। यदि विदोहन कार्य हेतु शासन एवं विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर विशेप परिस्थितियों के कारण विदोहन कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स से अधिक व्यय होने की स्थिति में आवेदक संस्थान के द्वारा जमा राशि की सीमा तक Work Study कराई जाकर विशेप प्रकरण तैयार कर विशेप नॉर्म्स की स्वीकृति इस कार्यालय से ली जाये।

(7) विपयांकित प्रकरण अंतर्गत 15307 नग वृक्ष विदोहन की अनुमति भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-02) के द्वारा दी गई सशर्त स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भ क्रमांक-03) विदोहन की समस्त शर्तों का पालन कराया जाना प्रकरण के वनमण्डलाधिकारी सह नोडल अधिकारी सरगुजा वनमण्डल का दायित्व रहेगा। उक्त का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

(8) उपरोक्त तालिका में दर्शित प्रत्यावर्तित संरक्षित वनभूमि के प्रभावित रकबा 91.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन कुल 15307 नग वृक्षों के विदोहन कार्य एवं संदर्भित पत्र/4010 दिनांक 07.12.2023 में उल्लेखित 167 नग ठूंठ से संबंधित प्रस्ताव अनुरूप कार्यवाही की जाये। विदोहन कार्य पूर्ण रूप से वन विभाग द्वारा किये जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त शर्तो का पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

(9) विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

क्रमशः 7 ......

16

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.1/536/2022-कटाई अनु.क्र.-52/1834

प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटलनगर, दिनांक 22/12/2023

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दि. 04.04.2022 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023, के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया नोडल विभाग की हैसियत से आप अपने स्तर से उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा द्वारा प्रेषित जानकारी की पुष्टि करने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के सशर्त पालन किए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त को निर्देश जारी करें।

3. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल (प्रकरण के नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. Superintending Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure - 4 17
Annexure - X

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ०ग०)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

अम्बिकापुर, दिनांक 12/12/2023

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2023 / 7056

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg.**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / 14 / उत्पा–1 / 536 / 2022–कटाई अनु.क्र–51 / 1833 दिनांक 11.12.2023

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक परियोजना रकया 1898.328 हे. से कोयला उत्खनन कार्य हेतु MOEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.02.2022 एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर के पत्र दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण स्वीकृति) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg हेतु 9वें वर्ष के द्वितीय चरण में संरक्षित वनभूमि रकबा 91.130 हे. वनभूमि में स्थित प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति शर्तें अधिरोपित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि वृक्षों के विदोहन हेतु प्रदत्त अनुमति तहत् अधिरोपित शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए उक्तानुसार पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 12/12/2023

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2023 / 7057

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेपित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रवंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेपित।
3. **Superintending Engineer**, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर छ0ग0

☎ 07774 - 240238 (0), 240236 (R), E-Mail :- dfo-surguja.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./1096 अम्बिकापुर, दिनांक/09/12/2024

प्रति,

Sharth Kumar Pallerla
Scientist
NATCOM Cell
Minisitry of Enviroment Forest And Climate Change
R.No. 326 Leval-III, Jal Wing
Indira Paryavaran Bhavan,
Jor Bagh Road Aliganj New Delhi

विषय :– **सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल परिक्षेत्र उदयपुर अंतर्गत परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना के संबंध में।**

—00—

विषयान्तर्गत सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल परिक्षेत्र उदयपुर अंतर्गत परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना के संबंध में जानकारी चाही गई है।

परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना के संबंध में जानकारी तैयार कर संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– पेज नं.01 से 48 तक।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोंजना अंतर्गत संक्षिप्त टीप

संक्षिप्त विवरण :– राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान को परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक का आबंटन भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा किया गया। कोल ब्लॉक अन्तर्गत कुल 1898.328 हे. वनभूमि का वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ.एन. 8 – 31/2010–एफ.सी. दिनांक 15.03.2012 द्वारा अंतिम चरण (Stage II) की स्वीकृति प्रदान की गई। अंतिम चरण में अधिरोपित शर्तो के आधार पर माईनिंग कार्य 02 चरणों में की जानी है। प्रथम चरण में 762.000 हे. वनक्षेत्र को कोयला उत्खनन कार्य हेतु संस्थान को वनेत्तर उपयोग हेतु प्रदान की गई।

द्वितीय चरण में शेष 1136.000 हे. वनभूमि की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ.एन. 8 – 31/2010–एफ.सी. दिनांक 02.02.2022 द्वारा प्रदान की गई।

आवेदक संस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
कुल प्रस्तावित रकबा (हे.में)	**1898.328 हे.**
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति **(Phase I)** क्रमांक/दिनांक	F.N 8-31/2010-FC dated 15.03.2012 (Phase I में 762.000 हे. में) **Annexure - I**
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति **(Phase II)** क्रमांक/दिनांक	F.N 8-31/2010-FC dated 02.02.2022 (Phase II में 1136.000 हे. में) **Annexure - II**

प्रथम चरण (Phase I)

➢ प्रथम चरण अंतर्गत 762.000 हे. में वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर उत्पादन द्वारा प्रस्तुत वृक्ष विदोहन योजना अनुसार वृक्षों की कटाई की जानकारी निम्नानुसार है :-

विदोहन वर्ष	कुल रकबा (हे. में)	मार्कशुदा वृक्षों की कुल संख्या	विदोहित वृक्षों की संख्या	शेष वृक्षों की संख्या	कुल उत्पादन ईमारती काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टा	वृक्ष विदोहन की अनुमति
प्रथम तीन वर्ष (2012--13 से 2014–15 तक)	222.100	21465	12008	9457	5281.629	5194	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/561 दिनांक 31.03.2012 **Annexure - III**
चतुर्थ वर्ष (2015–16)	254.243	14173	14173	-	3849.793	3106	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/793 दिनांक 10.06.2015 **Annexure - IV**
पॅचवा वर्ष (2016–17)	52.199	8609	8609	-	1536.896	1382	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/2285 दिनांक 27.12.2017 **Annexure - V**
छठवा वर्ष (2017–18)	59.760	15224	15224	-	2402.835	2695	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/1202 दिनांक 29.06.2018 **Annexure - VI**
सातवां वर्ष (2018–19)	70.150	10779	10779	-	3002.698	2525	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/384 दिनांक 25.02.2019 **Annexure - VII**
आठवां वर्ष (2020–21)	95.442	13133	13133	-	2415.991	2773	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक/1432 दिनांक 14.12.2020 **Annexure - VIII**
योग :-	**753.894**	**83383**	**73926**	**9457**	**18489.8**	**17675**	

➢ आवेदक संस्थान राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार रकबा 753.894 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि का हस्तांतरण किया गया।

द्वितीय चरण (Phase II)

द्वितीय चरण अंतर्गत 1136.000 हे. में से नौ वे वर्ष में रकबा 43.630 हे. क्षेत्र में वृक्ष विदोहन योजना अनुसार वृक्षों की कटाई की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर उत्पादन द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

विदोहन वर्ष	कुल रकबा (हे. में)	मार्कशुदा वृक्षों की कुल संख्या	विदोहित वृक्षों की संख्या	शेष वृक्षों की संख्या	कुल उत्पादन ईमारती काष्ठ (घन मी में)	जलाऊ चट्टा	वृक्ष विदोहन की अनुमति
नौ वर्ष (2022–23 तक) भाग–1	43.630	7960	7960	0	1182.704	1789	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पृ. क्रमांक / 1596 दिनांक 05.05.2022 **Annexure - IX**

वर्ष 2023–24 में 91.130 हे. क्षेत्र में वृक्ष विदोहन योजना अनुसार विदोहन की अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

विदोहन वर्ष	कुल रकबा (हे. में)	मार्कशुदा वृक्षों की कुल संख्या	विदोहित वृक्षों की संख्या	शेष वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन ईमारती काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टा	वृक्ष विदोहन की अनुमति
नौ वर्ष (2023–24 तक) भाग–2	91.130	15307	15307	00	4050.395	3358	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पृ. क्रमांक / 14 / उत्पा.–1 / 536 / 2022 / कटाई अनु.क्र. 51 / 1834 दिनांक 11.12.2023 **Annexure - X**

वर्ष 2024–25 में परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में :-

आवेदक संस्थान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा दसवें वर्ष में 74.130 हे. वन भूमि में खनन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर द्वारा वृक्ष विदोहन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है।

विदोहन वर्ष	कुल रकबा (हे. में)	मार्कशुदा वृक्षों की कुल संख्या	विदोहित वृक्षों की संख्या	शेष वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन ईमारती काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टा	वृक्ष विदोहन की अनुमति
दसवां वर्ष (2024–25)	74.130	10944	10944	00	2253.040	1871	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पृ. क्रमांक / 14 / उत्पा.–1 / 536 / 2024 / कटाई अनु.क्र. 62 / 1600 दिनांक 21.08.2024 **Annexure - XI**

Annexure – I 22

F. No. 8-31/2010-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan, C.G.O Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510.
Dated: 15th March, 2012

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Raipur.

Sub: **Diversion of 1898.328. ha in two phases of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja District of Chhattisgarh – reg.**

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter no. FS-4/2010/10-2 dated 28.04.2010 on the subject cited above seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under section-3 of the said Act, in-principle approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 06.07.2011 subject to fulfilment of certain conditions prescribed therein. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter no. vide its letter no. 331-53/2455 dated 31.12.2011, approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 1898.328. ha in two phases of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja District of Chhattisgarh subject to fulfilment of the following conditions:

1. Legal status of forest land shall remain unchanged.

    a. Compensatory afforestation shall be raised and maintained by the State Forest Department over degraded orange forest land double in extent to the forest land proposed to be diverted at the project cost.

    b. Fencing, protection and regeneration of the safety zone area shall be done at the project cost. Besides this, afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost.

    c. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

Sh

2. Following activities undertaken by the project proponent under the supervision of the State Forest Department at the project cost:

   (i) Proper mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.

   (ii) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.

   (iii) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.

   (iv) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28 at any given place) are maintained.

   (v) No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.

3. The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986 and any other Acts/Regulation/Rules.

4. The period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development & Regulating) Act, 1957, or Rules framed there under, subject to a maximum period of 30 years.

5. The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

6. Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward and back bearings and distance from pillar to pillar.

7. Mining/reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environmental Management Plan / phased reclamation programme. The annual report about the progress of reclamation should be submitted to the CCF (Central), Regional Office, Bhopal.

8. The mining shall be done in two phases:

   i. During phases-I, covering 15 years, the mining shall be restricted to 762.00 ha of forest land.

   ii. During phase –II the mining permission over remaining 1136.00 ha will be linked to the reforestation and biodiversity management in phase-I.

   iii. The project proponent will submit the application for permission for mining in phase – II along with compliance report of phase-I.

Sd/-

9. The user agency will ensure the dumping of OB and phase wise rehabilitation and afforestation of the used / mined out pits / voids as per the approved plan under the supervision of the State Forest Department.

10. The user agency will make arrangement for free supply of alternate fuels to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.

11. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

12. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and under strict supervision of the State Forest Department.

13. No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.

14. No labour camps shall be set up inside the forest area.

15. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances shall be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

16. The user agency will implement the Resettlement and Rehabilitation Plan as per the R&R Policy of State Government.

17. The user agency will undertake transplantation of important tree species under 60 cm girth under the supervision of State Forest Department.

18. The State Government will not come up for opening up of the main Hasdeo-Arand area.

19. The user agency will ensure proper implementation of Wildlife Management Plan prepared by the State Government.

20. The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area.

21. The State Government will suitably incorporate the comments, as suggested by of the WII, Dehradun, into the Wildlife Management Plan prepared for the area. The project proponent has deposited an amount of Rs. 22 crores (Rs. Twenty two crores) towards cost of implementation of the Wildlife Management Plan. Increased costs, if any, due to incorporation of the suggestions of WII, Dehradun will be borne by the user agency. Final copy of the Wildlife Management Plan will be submitted to this Ministry and the Regional Office, Bhopal within a period of three months for the purpose of monitoring. A soft copy in PDF format will also be submitted to the Ministry.

22. The user agency will make provision for appropriate financial outlay for the establishment of Rescue and Rehabilitation team to mitigate human-wildlife conflicts.

23. The Wildlife Management Plan will be implemented by the State Government and independent institutions like the Nature Conservation Foundation, Wildlife Trust of India and the Canter for Ecological Studies at the Indian Institute of Science apart from the Wildlife Institute of India may be involved in implementation of the Plan. In order to ensure proper implementation of the Wildlife Management Plan, the State Government shall make necessary provisions for carrying out the monitoring and evaluation of the plan. It would be appropriate to include

Shz

(134)

Chief Wildlife Warden of the State in monitoring the implementation of the Plan.

24. The user agency will undertake and implement suitable mitigative measures as prescribed in the Wildlife Management Plan for reducing the dependency of cattle and people on the surrounding forest area.

25. Any other condition that the Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal may impose from time to in the interest of conservation, protection or development of forests.

26. The user agency shall submit the annual compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the Regional Office, Bhopal regularly.

Yours faithfully,

(Shiv Pal Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-
1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Chhattisgarh, Raipur.
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Chhattisgarh, Raipur.
3. The Chief Conservator of Forest, Regional Office, Bhopal.
4. User Agency
5. Monitoring Cell, FC Division.
6. Guard file.

(Shiv Pal Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Annexure-II

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)
ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in
दूरभाष: 0771 – 2512840

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/ 771

रायपुर, दिनांक 04/04/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सरगुजा वन मंडल, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषयः – **Proposal for non-forestry use of 1898.328 ha. of forest land and (1654.109 ha. of revenue forest land and 224.219 ha. of notified forest land) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL), in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh- grant of permission for mining over Phase-II area- reg.**

— पंजीयन क्रमांक . SAR/ SAR/ S.SAR/ MIN/ 2010/ 048

संदर्भ : 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-31/ 2010-एफ.सी. दिनांक 02.02.2022

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-04/ 2010/ 10-2 दिनांक 25.03.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिलली के पत्र दिनांक 02.02.2022 द्वारा सरगुजा वन मंडल अंतर्गत Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB) से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase - II के तहत 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र-2 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सरगुजा वन मंडल अंतर्गत Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB) से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase - II के तहत 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार अंतिम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र अपने अभिमत सहित मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही वृक्ष विदोहन योजना तैयार कर उत्पादन प्रभाग को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (04 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 04/04/2022

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/ 772

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
– अधीक्षण अभियंता, (फ्यूल) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, खरसिया रोड, अम्बिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (04 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

27

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–04/2010/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– Proposal for non-forestry use of 1898.328 ha of forest land and (1654.109 ha of revenue forest land and 224.219 ha of notified forest land) in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL),in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh- grant of permission for mining over Phase-II area-reg.

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-31/2010 FC, दिनांक 02.02.2022।

——00——

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-31/2010 FC, दिनांक 02.02.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत <u>Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB)</u> से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase II के तहत् 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।

2/– भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अनुमति में अधिरोपित निम्न शर्तो के पालन करने की शर्त पर राज्य शासन एतद् द्वारा सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत <u>Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB)</u> से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase II के तहत् 1136.00 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) को निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता है :–

1. The recommendation in the Biodiversity Assessment Report (BAR) have beeen made keeping in view the comprehensive scenario of current production levels, biotic interference, mitigating measures, etc vis-a-vis impact on surrounding resources.Therefore, no further changes in the Mining Plan vis-a-vis land use shall be effected by the user agency without the prior approval of Central Government.
2. The recommendations made in the BAR shall be incorporated into the Wildlife Management Plan and the same shall be implemented by the Nodal Officer FCA 1980 at the project cost.
3. Quarterly site inspection on compliance of conditions shall mandatorily be done jointly by Ministry, IRO (Raipur) and Nodal Officer FCA 1980 and the observations/findings shall be submitted to MoEF&CC New Delhi.
4. Grant of permission for mining operations in the Phase-II area of 1136 ha is subject to change as per the directions of Hon'ble Supreme Court, as may be

पंजीयन
414
APCCF (LM)
793
04/04/20

5. The user agency, in consultation with the State Forest Department, will strengthen the provision for appropriate financial outlay for the establishment and effective functioning of Rescue and Rehabilitation team to mitigate human-wildlife conflicts.
6. The Nodal Officer FCA 1980 and the user agency shall ensure that concerned orders/directions of Courts/Tribunals, relevant provisions of all concerned Acts, Rules, Regulations and Guidelines pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
7. Biodiversity restoration should be integral part of mining site rehabilitation and User Agency should submit annual progress report on rehabilitation of mined up areas following best practices and afforestation measures to IRO for information and verification.
8. Nodal Officer FCA 1980 shall ensure that conditions stipulated in the Stage-II approval dated 15.03.2012 be complied with by the user agency; and
9. Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the provisions made under the Act and Forest (Conservation) Rules.

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken accordingly.

The Nodal Officer (FCA) 1980 Chhattisgarh shall ensure compliance of all the above conditions.

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25.3.22
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–04/2010/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता राजस्थान, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira ParyavaranBhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: 02.02.2022

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhavan,
New Raipur, Chhatishgarg

Sub: Proposal for non-forestry use of 1898.328 ha of forest and (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL), in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh- grant of permission for mining over Phase-II area- reg.

Sir,

I am directed to refer to the State Government letter no. 5-04/2010/10-2 dated 22.02.2021 and Ministry of Coal, Government of India's letter No. 103/13/2015/NA dated 23.11.2021 on the above subject seeking approval of the Central Government for grant of approval for Phase-II mining operations in the balance area of 1136 ha of forest land in Parsa East and Kete Basan Coal Block and Government of Chhattisgarh's letter no. 5-17/2018/10-2 dated 8.10.2021 forwarding a copy of report on Biodiversity Assessment Study and to inform that proposal of the State Government has been considered by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section - 3 of the aforesaid Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the Central Government hereby accords approval for commencing Phase-II mining operation in the balance area of 1136 ha of forest land in respect of proposal involving non-forestry use of 1898.328 ha of forest and (1654.109 ha of revenue forest land and 244.219 ha of notified forest land) in favour of RRVUNL, in Villages Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja, Chhattisgarh subject to fulfilment of following conditions:

i. The recommendation in the Biodiversity Assessment Report (BAR) have been made keeping in view the comprehensive scenario of current production levels, biotic interference, mitigating measures, etc vis-à-vis impact on surrounding resources. Therefore, no further changes in the Mining Plan vis-a-vis land use shall be effected by the user agency without the prior approval of Central Government.

ii. The recommendations made in the BAR shall be incorporated into the Wildlife

पा.नि.

APCCF (V/M)
PCCF

आवक क्र. 714
11/2/22

362
16/02/2022

Management Plan and the same shall be implemented by the State Forest Department at the project cost.

iii. Quarterly site inspection on compliance of conditions shall mandatorily be done jointly by Ministry, IRO (Raipur) and State Forest Department and the observations/findings shall be submitted to Ministry.

iv. Grant of permission for mining operations in the Phase-II area of 1136 ha is subject to change as per the directions of Hon'ble Supreme Court, as may be directed in final decision, in Civil Appeal 4395 of 2014.

v. The user agency, in consultation with the State Forest Department, will strengthen the provision for appropriate financial outlay for the establishment and effective functioning of Rescue and Rehabilitation team to mitigate human-wildlife conflicts.

vi. The State Government and the user agency shall ensure that concerned orders/directions of Courts/Tribunals, relevant provisions of all concerned Acts, Rules, Regulations and Guidelines pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

vii. Biodiversity restoration should be integral part of mining site rehabilitation and User Agency should submit annual progress report on rehabilitation of mined up areas following best practices and afforestation measures to IRO for information and verification.

viii. State Government shall ensure that conditions stipulated in the Stage-II approval dated 15.03.2012 be complied with by the user agency; and

ix. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the provisions made under the Act and Forest (Conservation) Rules.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forest (PCCF), Aranya Bhavan, Sector 19, North Block, New Raipur- 492002 Chhattisgarh.
2. Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Naya Raipur
3. Nodal Officer (FCA), Jail Road, Aranya Bhavan, Raipur.
4. User Agency
5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC
6. Guard file

Annexure-III 31

(85)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(शाखा–उत्पादन)

फैक्स नं.0771-2552216 ccf_production@rediffmail.com

क्रमांक/14/ उत्पा.1/536/ 2012/ 560 रायपुर, दिनांक 31/03/2012

962
3-4-12

प्रति,
वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :- वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में वृक्षों के विदोहन की अनुमति दिये जाने संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./591/2012, दिनांक 24/03/2012

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत दक्षिण सरगुजा वनमंडल के उदयपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत परसा ईस्ट एवं केते कोल परियोजना (मेसर्स राजस्थान राज्य विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर) में प्रभावित वृक्षों के विदोहन योजना प्रस्तुत कर विदोहन की अनुमति चाही गई है। प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	प्रत्यावर्तित भूमि (कक्ष क्र. खसरा आदि)	विवरण		
			भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
दक्षिण सरगुजा	उदयपुर	P-2005	वनभूमि	23.340	19515
		P-2008	वनभूमि	42.278	
		P-2007	वनभूमि	41.969	
		P-2105	वनभूमि	5.413	
			योग	**113.000**	**19515**
			ऑरेंज एरिया (कार्य आयोजना में सम्मिलित)	**109.100**	**1950**
				222.100	**21465**

उपरोक्त क्षेत्र के 222.100 हेक्टेयर में स्थित विभिन्न प्रजातियों के 21465 वृक्षों के विदोहन की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दी गई अनुमति में, अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विदोहन कार्य निर्धारित व्यय नार्मस् एवं वन संरक्षक के जॉबदरों पर किया जावें।

उक्त वृक्षों के विदोहन से आपके द्वारा अनुमानित उत्पादन 4561.201घनमीटर इमारती काष्ठ तथा 5547.128 (घनमीटर) जलाऊ आंकलित किया गया है अतः निर्देशित किया जाता है कि विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी के आधार पर कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

31/3/12

मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर
रायपुर, दिनांक 31/03/2012

पृ.क्रमांक/14/उत्पा.1/536/ 2012/ 561

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक (भूप्रंबध), छत्तीसगढ़ की ओर उनके कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक/खनिज/331–45/542, दिनांक 26/03/2012 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर की ओर उनके पृष्ठांकन क्रमांक/1540 दिनांक 30/03/2012 तथा आवेदक संस्थान के पत्र दिनांक 31/03/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31/3/12

मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

AO 3/4

32

Annexure-IV

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर

([illegible])

[illegible] 2552216

[illegible] production@rediffmail.com

क्रमांक [illegible] 792

रायपुर दिनांक 19 /06/2015

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि/ राजस्व वनभूमि में वर्ष 2015-16 (चतुर्थ वर्ष) में काटे जाने योग्य प्रस्तावित वृक्षों का विदोहन योजना। Regt. No. SAR/SAR/SSAR/MIN/2003/013

—:0:—

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि/740, दिनांक 01.06.2015
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भूप्रबंध), छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध / खनिज /331-45/ 1023, दिनांक 20/04/2015(जो मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा को संबोधित)
3. भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./एफ नं 8-31/201 एफ.सी. दिनांक 15/03/2012

—:❖:—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। व्यपवर्तन प्रकरण अंतर्गत आपके संदर्भित पत्र दिनांक 18.04.2015 द्वारा सरगुजा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र उदयपुर में 254.243 हेक्टेयर वनभूमि से प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति चाही गई है। प्रतिवेदन अनुसार विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है-

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	प्रत्यावर्तित भूमि (कक्ष क्र. खसरा आदि)	विवरण		
			भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
सरगुजा	उदयपुर	1. पी.- 2007 (135.255 हे.) 2. पी.- 2008(19.691 हे.) 3. पी.- 2105 (8.043 हे.) 4. पी.- 2004 (43.220 हे.) 5. पी.- 2003 (3.900 हे.)	वनभूमि	210.109	13029
		1. राजस्व वन साल्ही (16.[illegible]17) 2. राजस्व वन केते (25.77[illegible]) 3. राजस्व वन हरिहरपुर ([illegible]5.40)	राजस्व वनभूमि	44.134	1144
कुल योग				254.243	14173

क्रमशः.......2

(2)

उपरोक्त क्षेत्र में स्थित विदोहन हेतु प्रस्तावित कुल 14173 वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई अनुमति होने तथा अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

आंकलित व्यय राशि आवेदक संस्थान द्वारा वनमंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में जमा कराये जाने के पश्चात ही विदोहन कार्य प्रारंभ किया जाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/नि.रा./का.आ./456, दिनांक 04.01.2012 के द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप वृक्षों के पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

विदोहन/ परिवहन व्यय आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराई गई राशि से की जावेगी। कार्य में व्यय निर्धारित व्यय नार्म्स एवं जॉबदरों पर किया जावें। आपके प्रतिवेदन अनुसार विदोहित किये जाने वाले भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या एवं अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दर्शायी गयी है :-

वनमंडल	वनोपज	वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन	
			इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ(घ.मी)
सरगुजा	काष्ठ	14173	3324.052	4014.753
योग		14173	3324.052	4014.753

उपरोक्तानुसार विदोहन उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

10/6/15

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक/14/उत्पा.1/536/ 793

रायपुर, दिनांक 10/06/2015

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/6/15

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned by CamScanner

Annexure-V

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

शाखा--उत्पादन, द्वितीय तल कक्ष क्रमांक SL-06

फोन-0771-2512822 ccf production@rediffmail.com

क्रमांक/14/उत्पा 1/536/ ... नया रायपुर, दिनांक ..12/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of 1898.328 ha of forest land fro Parsa East and kete Basen Capive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajsthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja District of Chhattisgarh. परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना के अंतर्गत 5वें वर्ष में शेष 677 नग वृक्षों की कटाई की अनुमति बाबत।

संदर्भ :-
1. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्र./एफ-8-08/31/2010 एफ सी दिनांक 15.03.2012
2. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2, दिनांक 28.03.2012
3. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध) के कार्यालय का पत्र क्र./भूप्रबंध/व्यप/331-45/155, दिनांक 06.03.2012 एवं क्रमांक/3633, दिनांक 19.12.2017
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/14/उत्पा.1/536/1844, दिनांक 25.10.2017
5. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त का पत्र क्रमांक/1230, दिनांक 02.08.2017

--0--

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा 05वें वर्ष बाबत परियोजना में प्रभावित शेष ... विदोहन की अनुमति चाही गई है। प्रस्तुत विदोहन 677 नग वृक्षों के विदोहन योजना आपकी अनुशंसा सहित प्रस्तुत कर ... योजना अनुसार अपवर्तित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है

वनमंडल/परिक्षेत्र	प्रत्यावर्तित भूमि का कक्ष क्रमांक/खसरा	भूमि का प्रकार	5वें वर्ष में प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण	21-60 से.मी. गोलाई वर्ग के ट्रांसप्लांटेशन योग्य वृक्षों की संख्या	इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 04 द्वारा प्रदत्त अनुमति	विदोहन हेतु शेष वृक्षों की संख्या जिनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाना संभव नहीं है।
1	2	3	4	5	6	7
सरगुजा/उदयपुर	पी-2005	संरक्षित वन भूमि	31.600	805	3549	145
	राजस्व वनभूमि ग्राम हरिहरपुर खसरा क्र. 183/189	राजस्व वनभूमि	17.871	625	3953	493
	राजस्व वनभूमि ग्राम हरिहरपुर खसरा क्र. 215/1, 191/15, 201, 197	राजस्व वनभूमि	2.728	260	1107	39
योग			52.199	1690	8609	677

क्रमशः...(2)

(2)

[illegible] तालिका क्रमांक 07 में दर्शाये अनुसार प्रश्नाधीन कुल 677 वृक्षों के विदोहन [illegible] पर्यावरण [illegible] जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम [illegible] के तहत दी गई अनुमति [illegible] शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.रा./का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा [illegible] निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

[illegible] प्रतिवेदन अनुसार [illegible] भूमि में स्थित [illegible] का विवरण निम्नानुसार दर्शायी गई है :-

क्रमांक	वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन		
		इमारती काष्ठ (घ.मी.)	बल्ली (नग में)	जलाऊ (चट्टा)
[illegible]	677	3.86	-	59.51

उपरोक्तानुसार विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक [illegible] में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
प्राप्ति क्रमांक 3697
दिनांक 29/12/17
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़,

क्रमांक/14/उत्पा.1/536/ [illegible]   नया रायपुर, दिनांक [illegible]/12/2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़,

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)

Annexure – VI

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९,नया रायपुर छत्तीसगढ़
(शाखा-उत्पादन)

फोन नं -0771-2512822 ccf_production@rediffmail.com

क्रमांक/ मा./उत्पा./ 5386/ 1201 नवा रायपुर, दिनांक 29 06/ 2018

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja forest Division in surguja District of chhattisgarh.

संदर्भ :-
1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र.–08/2018/831, दिनांक 01.06.2018
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./एफ नं 8–31/2010–एफ.सी., दिनांक 15.03.2012
3. छ.ग. शासन, वन विभाग का पृ.क्र./एफ–5–4/2010/10–2, दिनांक 28.03.2012
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–45/355, दिनांक 06.03.2012

––00––

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा 06वें वर्ष बाबत् परियोजना में प्रभावित 15224 वृक्षों के विदोहन योजना अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत कर विदोहन की अनुमति चाही गई है। प्रस्तुत विदोहन योजना अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

वनमंडल/ परिक्षेत्र का नाम	प्रत्यावर्तित भूमि (कक्ष क्र.)	विवरण		
		भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5
सरगुजा	P-2005	संरक्षित वनभूमि	54.75	13221 नग
	P-2004	संरक्षित वनभूमि	05.01	2003 नग
कुल योग–			59.76	15224 नग

उपरोक्त वन क्षेत्र में स्थित प्रश्नाधीन कुल 15224 वृक्षों के विदोहन की स्वीकृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई अनुमति क्षेत्रों तथा अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स/का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(2)

विदोहन व्यय आवेदक संस्थान द्वारा जमा करायी गई राशि से की जावेगी। कार्य में व्यय निर्धारित नार्मस एवं दरों पर किया जावे। आपके प्रतिवेदन अनुसार विदोहित किये जाने वाली भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या एवं अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दर्शायी गई है :-

वन मण्डल का नाम	वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन	
		इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ (चट्टा)
सरगुजा	15224	2802.835	3695.84

उपरोक्तानुसार विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

29/6/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/14/उत्पा.1/536/ 1202

नया रायपुर, दिनांक 29/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्टाफ आफिसर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure - VII 38

...य प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़
(शाखा-उत्पादन)

ccf_production@rediffmail.com

...2822
...क्र. तक.../3... 384

अटल नगर, दिनांक 25/02/2019

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja forest Division in surguja District of chhattisgarh.
(सातवें वर्ष वनभूमि क क्ष पी–2003, रकबा 10.960 एवं पी– 2004 रकबा 9.190 हे. कुल वनक्षेत्र 20.150 हे. क्षेत्र में खड़े वृक्षों की विदोहन योजना)

1. आपका पत्र क्रमांक/ना.चि/न.क्र.–08/2019/113, दिनांक 13.01.2019
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./एफ नं. 8–31/2010–एफ.सी., दिनांक 15.03.2012
3. छ.ग. शासन, वन विभाग का पृ.क्र./एफ–5–4/2010/10–2, दिनांक 28.03.2012
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/ खनिज/331–45/355, दिनांक 06.03.2012
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), छ.ग. रायपुर का यू.ओ. टीप क्रमांक/29, दिनांक 22.02.2019

—00—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा 07वें वर्ष बाबत् परियोजना में प्रभावित 10779 वृक्षों के विदोहन योजना अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत कर विदोहन की अनुमति चाही गई है। प्रस्तुत विदोहन योजना में प्रत्यावर्तित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

मंडल/ परिक्षेत्र का नाम	प्रत्यावर्तित भूमि (कक्ष क्र.)	विवरण		
		भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5
सरगुजा	P-2003	संरक्षित वनभूमि	10.960	3855
	P-2004	संरक्षित वनभूमि	9.190	6924
कुल योग–			20.150	10779

क्रमशः.....(2)

Conservator of Forests
...Circle, Ambikapur
(C.G.)

उपरोक्त वन क्षेत्र में स्थित प्रश्नाधीन कुल 10779 वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दी गई अनुमति क्षेत्रों तथा अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.रा/का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति आवश्यक कार्यवाही की जावे।

विदोहन व्यय आवेदक संस्थान द्वारा जमा करायी गई राशि से की जावेगी। कार्य में व्यय निर्धारित मार्गस एवं जॉबदरों पर किया जावे। आपके प्रतिवेदन अनुसार विदोहित किये जाने वाली भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या एवं अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दर्शायी गई है :-

वन मण्डल का नाम	वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन	
		इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ (घ.मी.)
सरगुजा	10779	3002.698	2525.186

उपरोक्तानुसार विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.1/536/ 385

अटल नगर, दिनांक 25/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर कार्यालयीन यू.ओ. क्रमांक/29, दिनांक 22.02.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
(शाखा-उत्पादन)

फोन-0771-2512822

ccf production@rediffmail.com

क्रमांक/उत्पा.1/538/2285   नवा रायपुर अटल नगर दिनांक [illegible] 2019

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय:- *Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja forest Division in surguja District of chhattisgarh.*
(सातवें वर्ष वनभूमि क क्ष पी–2003, रकबा 10.960 एवं पी– 2004 रकबा 9.190 हे. कुल रकबा 20.150 हे. क्षेत्र में खड़े वृक्षों की विदोहन योजना)

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र.–08/2019/2614, दिनांक 29.11.2019
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/14/उत्पा.1/536/384, दिनांक 25.02.2019

—00—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा 07वें वर्ष बाबत् परियोजना में प्रस्तावित [illegible] हे. के विदोहन योजना अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत कर विदोहन की अनुमति प्रदान की गई, का उल्लेख कर प्रस्तुत विदोहन योजना के तालिका अनुसार भूमि का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

वनमण्डल/ परिक्षेत्र का नाम	प्रत्यावर्तित भूमि (कक्ष क्र.)	विवरण		
		भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5
सरगुजा	P-2003	संरक्षित वनभूमि	10.960	3855
	P-2004	संरक्षित वनभूमि	9.190	6924
कुल योग–			20.150	10779

आपके संदर्भ क्र. 01 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का पत्र क्रमांक तक.अधी. [illegible] दिनांक 18.11.2019 के द्वारा प्रतिवेदन अनुसार सातवें वर्ष के विदोहन योजना की स्वीकृति के आधार पर वृक्ष विदोहन कार्य कुल रकबा 20.150 हे. के स्थान पर 70.150 हे. विदोहन कार्य कर कुल 9956 वृक्षों की कटाई की गई है का उल्लेख कर बताया परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना क्षेत्र में सातवें वर्ष वन भूमि कक्ष क्रमांक – पी–2003 एवं पी–2004 में कुल रकबा 20.150 हे. क्षेत्र में खड़े वृक्षों की विदोहन योजना में वास्तविक रकबा 70.150 हे. वन क्षेत्र की संशोधित स्वीकृति चाही गई

क्रमशः......(2)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी [illegible]
9861
दिनांक

उपरोक्त प्रश्नाधीन प्रत्यावर्तित भूमि कक्ष क्रमांक – पी–2003 एवं पी–2004 के वास्तविक रकबा 70.150 हे. वन क्षेत्र में स्थित कुल 10779 वृक्षों के विदोहन की चाही गयी स्वीकृति, के परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। वास्तविक रकबा 70.150 हे. के विरूध्द प्रस्तावित कक्ष का विवरण प्रस्तुत करने पर औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत अधिरोपित संदर्भ व शर्तो पर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों व शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा व्यापवर्तित की जाने वाले विदोहन योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक क्षेत्रो पर कोई कार्य अथवा वृक्षो का विदोहन कदापि न किया जाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स/का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति संदर्भित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे।

विदोहन व्यय आवेदक संस्थान द्वारा जमा करायी गई राशि से की जावेगी। कार्य में व्यय निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर किया जावे।

उपरोक्तानुसार विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

10/12/19

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.1/536/2266 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–10/12/2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/12/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

छत्तीसगढ़

Annexure - VIII

[illegible]

(भारत सरकार)

[illegible]

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam limited in South Surguja forest division in Surguja District of Chhattisgarh.

परसा ईस्ट केते कोयला परियोजना क्षेत्र में प्रथम चरण हेतु स्वीकृत [illegible] 762.00 हे. में से कुल 95.442 हे आठवें वर्ष के लिए खनन हेतु प्रस्तावित करने हेतु विदोहन योजना की स्वीकृति बाबत अभिमत देने के संबंध में।

--00--

संदर्भ :- 1 आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./म.क 08/2020/1029, दिनांक 28.11.2020

2 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ एफ न /8-31/2010- एफसी (पी.टी.) दिनांक 15.03.2012

3 छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-4/2010/10-2 दिनांक 28.03.2012

4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/ खनिज/331-19/2235, दिनांक 09.12.2020

-:0-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से [illegible] विचाराधीन प्रकरण अंतर्गत परसा ईस्ट केते कोयला परियोजना हेतु भारत सरकार, [illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) द्वारा व्यपवर्तन स्वीकृत क्षेत्र 1898.328 हे. में से 762.00 हे. प्रथम चरण में स्वीकृति [illegible] सरगुजा वनमण्डल के (संदर्भ क्रमांक-1 के अनुसार) अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्र 762.00 हे. [illegible] आठवें वर्ष हेतु 95.442 हे.के तहत व्यपवर्तित वन कक्ष क्रमांक पी 2003 पी 2004 एवं पी 2005 के रकबा 95.442 हे में स्थित 13133 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति [illegible] वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, जानकारी प्रस्तुत कर [illegible] विदोहन/परिवहन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

II. कक्ष क्रमांक-पी 2003, पी 2004 एवं पी 2005 के रकबा 95.442 हे. में स्थित 13133 नग वृक्षों के विदोहन/परिवहन अनुसार प्रस्तावित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है.-

क्रमशः 2

(4) 140

वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित भूमि	विवरण		
			भूमि का प्रकार	रकबा हे.	विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या
सरगुजा	उदयपुर	पी 2003	आरक्षित वन भूमि	23.559	3034
		पी 2004		14.011	1407
		पी 2005		57.872	8692
		योग-		95.442	13133

20 आपके प्रतिवेदन अनुसार विदोहित किये जाने वाली भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या एवं अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन		ट्री ट्रान्सप्लान्टेशन हेतु पौधो की संख्या
				इमारती काष्ठ(घ.मी)	जलाऊ चट्टा	
सरगुजा	उदयपुर	पी 2003	3034	636.942	819	387
		पी 2004	1407	519.582	435	55
		पी 2005	8692	1259.467	1519	241
योग -			13133	2415.991	2773	683

21 उपरोक्तानुसार आरक्षित, वन क्षेत्र 95.442 हे. में स्थित प्रश्नाधीन कुल 13133 वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली के (संदर्भ क्रमांक-2) पत्र क्रमांक/एफ.नं./8-31/2010- एफ.सी.(पी.टी.), दिनांक 15.03.2012, संदर्भ क्रमांक-3 एवं संदर्भ क्रमांक-4 द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो के तहत अधीन प्रदान की जाती हैं।

22 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध एवं नोडल अधिकारी) के पत्र संदर्भ क्र.-04 के द्वारा दिये गये निर्देश- "कुल 762 हे. वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवेदक संस्थान को उपयोग की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते आवेदक संस्थान माईनिंग प्लान में बिना कोई परिवर्तन किये क्रमबद्ध तरीके से खनन का कार्य संपादित करें तथा किसी भी स्थिति में संपूर्ण खनन का रकबा 762 हे. वनभूमि से अधिक न हो। भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 15.03.2012 के समस्त शर्तो का पालन कराया जाना वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल का पूर्ववत दायित्व रहेगा।" का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

23 प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स./का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

24 विदोहन व परिवहन आदि व्यय मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा जमा करायी गई राशि से की जायेगी। कार्य में व्यय शासन व विभाग द्वारा निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर किया जावे।

25 विदोहन योजना के संबंध में समय-समय पर भारत शासन/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा जारी निर्देशो का पालन भी किया जावे।

क्रमशः 3

(3)

विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र मे इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे।

उपरोक्त तालिका में दर्शित प्रत्यावर्तित आरक्षित, वन क्षेत्र के 95.442 हे. में स्थित प्रकरणाधीन कुल 13133 वृक्षों के विदोहन कार्य पूर्ण रूप से वन विभाग द्वारा स्वीकृति की उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

उपरोक्त पत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होती है तो इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा इसकी जवाबदारी आपकी होगी।

14.12.20
(जयसिंह म्हस्के)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

क्रमांक/14/उत्पा.1/536/1432 नवा रायपुर, अटलनगर, दिनांक 14.12.2020

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया नोडल विभाग की हैसियत से आप अपने स्तर से उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा द्वारा प्रेषित जानकारी की पुष्टि करने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के सशर्त पालन किए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त को निर्देश जारी करें।
3. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. Superintending Engineer, Rajsthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath , Jyoti Nagar Jaipur को सूचनार्थ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure-IX

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2022 3862 अम्बिकापुर, दिनांक 12/05/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg.**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / उत्पा–1 / 536 / 2022 / 1596 दिनांक 05.05.2022

---00---

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक परियोजना रकबा 1898.328 हे. से कोयला उत्खनन कार्य हेतु MOEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.02.2022 एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर के पत्र दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण स्वीकृति) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg हेतु 9वें वर्ष के प्रथम चरण में संरक्षित वनभूमि रकबा 43.630 हे. वनभूमि में स्थित प्रश्नाधीन 7960 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति शर्तें अधिरोपित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि वृक्षों के विदोहन हेतु प्रदत्त अनुमति तहत् अधिरोपित शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए उक्तानुसार पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2022 3863 अम्बिकापुर, दिनांक 12/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. **Superintending Engineer,** Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

(शाखा–उत्पादन)

फोन नं.0771-2512822 ई–मेल apccf-production.cg@gov.in

क्रमांक/14/उत्पा1/536/2022-कटाई अनु.क.-23/ 1536 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 05/05/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan Captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg.

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-08/2022/1087 दिनांक 28.04.2022
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 06.07.2011 (प्रथम चरण) एवं पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 15.03.2012, पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 02.02.2022 (द्वितीय चरण)
3. छत्तीसगढ़ शासन,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 28.03.2012 एवं पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण)
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दिनांक 04.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/956 दिनांक 26.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/992, दिनांक 02.05.2022

-:0:-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan Captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg. हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) के अनुसार सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन स्वीकृत क्षेत्र के 9वें वर्ष के प्रथम चरण हेतु 43.63 हे. से संबंधित प्रकरण के तहत संरक्षित भूमि में प्रभावित 7960 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें दर्शित विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमशः 2 ...

(2)

1.1/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क.	प्रभावित रकबा (हे में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	रिमार्क ([illegible] दृढ़ पोलार्ड वृक्ष संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2003	29.79	6253	188
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2004	13.84	1707	75
योग					43.63	7960	263

1.2/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

अनु क	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/ संरक्षित)	कक्ष क.	प्रभावित रकबा (हे में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2003	29.79	संलग्न*	6253	630.658	442.000	1072.658
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2004	13.84	संलग्न*	1707	431.163	181.600	612.763
योग							7960	1061.821	623.600	1685.421

टीप:- संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 में संलग्नक* उपवनमंडलाधिकारी, उपवनमंडल, उदयपुर का पत्र कमांक/शि.लि./22/629, दिनांक 22/04/2022 उल्लेखित प्रपत्र-ख-01 में संलग्न अनुसार प्रजाति एवं वृक्षों के अनुमानित उत्पादन अनुसार विदोहन की कार्यवाही की जाये।

1.3/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र -ग में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु.क.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि)	ग्राम का नाम	खसरा क	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							कमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-निरंक-									

क्रमशः 3 .....

1.4/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ग-01 में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि/ नारंगी वन क्षेत्र)	ग्राम का नाम	खसरा क्र	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
							प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- निरंक -											

1.5/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में विदोहित किए जाने वाले वृक्षों का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनुमति में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							क्रमांक/ दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- निरंक -									

1.6/- परिवहन, कटाई एवं ढुलाई व्यय हेतु पी.डी. खाते में जमा किए गए राशि का विवरण :-

वनमण्डल	चालान क्रमांक/ डी.डी.क्र	दिनांक	जमा खाते का विवरण पत्र क्र./ दिनांक	राशि का विवरण परिवहन, कटाई एवं ढुलाई (राशि रू में)
1	2	3	4	5
सरगुजा	चा. क्र.- 17 डी.डी.क्र - 317787	29.04.2022 26.04.2022	8443 Civil Deposit 106 PD Account No. 0299008	परिवहन एवं ढुलाई व्यय - 38,48,558 कटाई कार्य - 75,51,651 सीमांकन एवं मार्किंग कार्य - 1,41,370 अन्य व्यय - 11,54,158
योग				1,26,95,737/-

क्रमशः 4 ......

1.7/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वृक्षों के विदोहन हेतु अब तक दी गई स्वीकृति का विवरण :-

अनुक्रमांक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा अब तक जारी अनुमति का विवरण		रिमार्क
	क्रमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4
1	560/31.03.2012	21465	222.100 (उत्खनित रकबा हे.में)
2	792/10.06.2015	14173	254.243 (उत्खनित रकबा हे.में)
3	2284/27.12.2017	677	52.190 (उत्खनित रकबा हे.में)
4	1201/29.06.2018	15224	59.760 (उत्खनित रकबा हे.में)
5	2359/31.12.2019	10779	70.150 (उत्खनित रकबा हे.में)
6	1431/14.12.2020	13133	95.442 (उत्खनित रकबा हे.में)
	योग	75451	753.894

2/ उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basan Captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg हेतु प्रथम वर्ष के प्रथम चरण हेतु रकबा 43.63 हे. वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत दी गई सशर्त अनुमति एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/331-45/956, दिनांक 26.04.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त को व्यपवर्तन की अनुमति एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/ खनिज/331-45/992, दिनांक 02.05.2022 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रश्नाधीन 7960 नग वृक्षों के विदोहन की अनुशंसा की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तालिका संदर्भित पत्र क 01 में दर्शाये विवरण के अनुसार संरक्षित वनभूमि के रकबा 43.63 हे. में स्थित प्रश्नाधीन 7960 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-2) द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तें एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाने की शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाये।

क्रमशः 5 .....

(5)

(3) मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना अनुसार, प्रकरण अंतर्गत 7960 नग वृक्ष के विदोहन योजना अंतर्गत होने वाले व्यय जिसमें कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि व्यय शासन व विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर आवेदक संस्थान के द्वारा सरगुजा वनमण्डल के डी.डी. खाते में जमा की गई राशि से किया जावे।

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक/नि.स./का.आ./436 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(5) विदोहन योजना के संबंध में समय-समय पर भारत शासन/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी किया जावे।

(6) उपरोक्त प्रकरण में संबंधित संस्थान द्वारा सरगुजा वनमण्डल हेतु व्यय राशि चालान क्रमांक-[illegible] दिनांक 29.04.2022 डी.डी.क 317787 राशि रू. 1,26,95,737/- व्यय किया जावेगा, जिसमें प्रकरण अंतर्गत कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि हेतु होने वाले संभावित व्यय हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 के दर्शित विवरण अनुसार कार्य किया जावें। यदि विदोहन कार्य हेतु शासन एवं विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर विशेष परिस्थितियों के कारण विदोहन कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स से अधिक व्यय होने की स्थिति में आवेदक संस्थान के द्वारा जमा राशि की सीमा तक Work Study कराई जाकर विशेष प्रकरण तैयार कर विशेष नॉर्म्स की स्वीकृति इस कार्यालय से ली जाये।

(7) विषयांकित प्रकरण अंतर्गत 7960 नग वृक्ष विदोहन की अनुमति भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ कमांक-02) के द्वारा दी गई सशर्त स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भ कमांक-03) विदोहन की समस्त शर्तों का पालन कराया जाना प्रकरण के वनमण्डलाधिकारी सह नोडल अधिकारी सरगुजा वनमण्डल का दायित्व रहेगा। उक्त का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

(8) उपरोक्त तालिका में दर्शित प्रत्यावर्तित संरक्षित वनभूमि के प्रभावित रकबा 43.63 हे. में स्थित प्रजातिवार कुल 7960 नग वृक्षों के विदोहन कार्य पूर्ण रूप से वन विभाग द्वारा किये जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

(9) विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

(10) संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 के संलग्नक* उपवनमंडलाधिकारी, उपवनमंडल, उदयपुर का पत्र कमांक/शि.लि./22/629, दिनांक 22/04/2022 प्रपत्र-क्र-01 में दर्शित संलग्न अनुसार विदोहन की कार्यवाही कर पृथक से विदोहित वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या की जानकारी से अवगत कराया जाये।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

(6)

पृ. क्रमांक/14/उत्पा1/536/2022-कटाई अनु.ग-23/ 1597 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 25/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/77, दिनांक 04.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/956, दिनांक 26.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/ खनिज/ 331-45/992, दिनांक 02.05.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया नोडल विभाग की हैसियत से आप अपने स्तर से उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा द्वारा प्रेषित जानकारी की पुष्टि करने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तों के सशर्त पालन किए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त को निर्देश जारी करें।
3. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल (प्रकरण के नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. Superintending Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure-X

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0–08/2023/ 7056 अम्बिकापुर, दिनांक 12/12/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg.**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/14/उत्पा–1/536/2022–कटाई अनु.क्र–51/1833 दिनांक 11.12.2023

––00––

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक परियोजना रकबा 1898.328 हे. से कोयला उत्खनन कार्य हेतु MOEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.02.2022 एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर के पत्र दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण स्वीकृति) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg हेतु 9वें वर्ष के द्वितीय चरण में संरक्षित वनभूमि रकबा 91.130 हे. वनभूमि में स्थित प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति शर्तें अधिरोपित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि वृक्षों के विदोहन हेतु प्रदत्त अनुमति तहत् अधिरोपित शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए उक्तानुसार पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0/मा.चि./न0क्र0–08/2023/ 7057 अम्बिकापुर, दिनांक 12/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेपित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेपित।
3. **Superintending Engineer**, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

53

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

(शाखा–उत्पादन)

फोन नं.0771-2512822 ई–मेल apccf-production.cg@gov.in

क्रमांक/14/उत्पा.1/536/2022-कटाई अनु.क्र.-51/1833 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/12/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय :- Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg.

(वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एण्ड केते बासेन कोल परियोजना से कोल उत्खनन कार्य हेतु Phase-II के तहत 9वें वर्ष द्वितीय चरण हेतु कक्ष क्रमी पी. 2003, पी. 2004, पी. 2005 एवं पी. 2016 , कुल रकबा 91.130 हे. वनभूमि में खडे वृक्षों के विदोहन की अनुमति बावत)

संदर्भः-

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 06.07.2011 (प्रथम चरण) एवं पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 15.03.2012, पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 02.02.2022 (द्वितीय चरण)
3. छत्तीसगढ़ शासन,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 28.03.2012 एवं पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण)
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दिनांक 04.04.2022 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023
5. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा का पत्र क्रमांक/तक.अधि./172 दिनांक 08.12.2023

-:0:-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2023 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) के अनुसार द्वितीय चरण (Phase-II) हेतु स्वीकृत रकबा 1136 हे. में से 91.130 हे. सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन क्षेत्र के 9वें वर्ष से संबंधित प्रकरण के तहत संरक्षित भूमि में प्रभावित 15307 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें दर्शित विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमशः 2 ......

1.1/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र-ख) निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	रिमार्क (चिन्हित ठूंठ पोलार्ड वृक्ष संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2003	16.800	3555	40
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2004	40.920	7464	76
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2005	24.090	2373	26
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2016	09.320	1915	25
योग					**91.130**	**15307**	**167**

1.2/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ख 01) निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/ संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2003	16.800	साल	997	483.050	178.751	661.801
						बीजा, तिनसा, शीशम, खम्हार	2	0.025	0.018	0.043
						हल्दू, मुंण्डी कयाई,	2	0.561	1.402	1.963
						राजा, अर्जुन	24	5.775	4.166	9.941
						अन्य	2530	165.568	184.741	350.309
योग :-							**3555**	**654.979**	**369.078**	**1024.057**

क्रमशः 3 ......

अनु. क्र	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र	प्रभावित रकबा (हे में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2004	40.920	साल	2225	1837.151	575.058	2412.209
						बीजा, तिनसा, शीशम, सम्हार	16	2.280	4.351	6.631
						हल्दू, मुंण्डी कशई,	2	0.361	0.904	1.265
						साजा, अर्जुन	94	47.984	21.583	69.567
						अन्य	5127	474.972	500.548	975.52
						योग :-	7464	2362.748	1102.444	3465.192
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2005	24.090	साल	777	657.832	194.566	852.398
						बीजा, तिनसा, शीशम, सम्हार	9	2.101	2.400	4.501
						हल्दू, मुंण्डी कशई,	0	0	0.000	0
						साजा, अर्जुन	1	0.5	0.125	0.625
						अन्य	1586	190.127	198.938	389.065
						योग :-	2373	850.560	396.029	1246.589
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2016	09.320	साल	653	129.222	80.468	209.69
						बीजा, तिनसा, शीशम, सम्हार	5	0.021	0.051	0.072
						हल्दू, मुंण्डी कशई,	1	0.064	0.159	0.223
						साजा, अर्जुन	20	1.505	1.388	2.893
						अन्य	1236	51.296	68.314	119.61
						योग :-	1915	182.108	150.38	332.488
						कुल योग :-	15307	4050.395	2017.931	6068.326

टीप :- मु.व.सं. सरगुजा के संदर्भित पत्र मा.चि./न.क.-08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023 से प्रस्तुत प्रस्ताव विदोहन प्रकरण में उल्लेसित चिन्हित ठूंठ पोलाई एवं अनुमानित उत्पादन को सम्मिलित कर विदोहन की कार्यवाही की जाये।

क्रमशः 4 ......

1.3/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र -ग में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु क्र	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि)	ग्राम का नाम	खसरा क्र	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							क्रमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-निरंक -									

1.4/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ग-01 में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि/ नारंगी वन क्षेत्र)	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
							प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- निरंक -											

1.5/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में विदोहित किए जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र- घ) निम्नानुसार दर्शाया गया ह :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनुमति से विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							क्रमांक/ दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- निरंक -									

क्रमशः 5 ......

(5)

1.6/- परिवहन, कटाई एवं ढुलाई व्यय हेतु पी.डी. खातें में जमा किए गए राशि का विवरण (प्रपत्र- ड.) :-

वनमण्डल	चालान क्रमांक/ डी डी क्र	दिनांक	जमा राशि का विवरण पत्र क्र./ दिनांक	राशि का विवरण परिवहन, कटाई एवं ढुलाई (राशि रु में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
सरगुजा	डी डी क्र - 923594	07 12 2023		4,35,00,000/-	मुवमं सरगुजा के संदर्भित पत्र मा.चि./न.क -08/2023/4010 दिनांक 07.12.2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव विदोहन प्रकरण में उल्लेखित व्यय अनुसार कार्यवाही की जावे। इसकी चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे।
योग				4,35,00,000/-	

1.7/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वृक्षों के विदोहन हेतु अब तक दी गई स्वीकृति का विवरण (प्रपत्र - च) :-

अनुक्रमांक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा अब तक जारी अनुमति का विवरण		रिमार्क
	कमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2		4
1	560/31.03.2012	21465	222.100 (प्रभावित रकबा हे.में)
2	792/10.06.2015	14173	254.243 (प्रभावित रकबा हे.में)
3	2284/27.12.2017	677	52.199 (प्रभावित रकबा हे.में)
4	1201/29.06.2018	15224	59.760 (प्रभावित रकबा हे.में)
5	2359/31.12.2019	10779	70.150 (प्रभावित रकबा हे.में)
6	1431/14.12.2020	13133	95.442 (प्रभावित रकबा हे.में)
7	1596/05.05.2022	7960	43.630 (प्रभावित रकबा हे.में)
योग :-		83411	797.524

2/ उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Proposal for non forestry use of 1898.328 ha. of forest and (1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land) in in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigum Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur , District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area हेतु 9वें वर्ष के द्वितीय चरण (Phase-II) हेतु स्वीकृत रकबा 1136 हे. में से 91.130 हे. वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत दी गई सशर्त अनुमति एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./ भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023 द्वारा प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की अनुशंसा की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तालिका संदर्भित पत्र क्र. 01 में दर्शाये विवरण के अनुसार संरक्षित वनभूमि के रकबा 91.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन 15307 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रमशः 6 ......

58

XI

(6)

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-2) द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तो एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाने की शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित शर्तो का पालन किया जाये।

(3) मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना अनुसार, प्रकरण अंतर्गत 15307 नग वृक्ष के विदोहन योजना अंतर्गत होने वाले व्यय जिसमें कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि व्यय शासन व विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर आवेदक संस्थान के द्वारा सरगुजा वनमण्डल के पी.डी. खाते में जमा की गई राशि से किया जावे।

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स./का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(5) विदोहन योजना के संबंध में समय-समय पर भारत शासन/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा जारी निर्देशो का पालन भी किया जावे।

(6) उपरोक्त प्रकरण में संबंधित संस्थान द्वारा सरगुजा वनमण्डल हेतु व्यय राशि डी.डी.क 923594 दिनांक 07.12.2023 राशि रू. **4,35,00,000/-** व्यय किया जावेगा, जिसमें प्रकरण अंतर्गत कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि हेतु होने वाले संभावित व्यय हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2023 के दर्शित विवरण अनुसार कार्य किया जावें। पी.डी. खाता में निर्धारित मद 8443, सिविल डिपोजिट 106 मद अंतर्गत चालान जमा होने के उपरांत ही व्यय की कार्यवाही की जाये। यदि विदोहन कार्य हेतु शासन एवं विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर विशेष परिस्थितियों के कारण विदोहन कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स से अधिक व्यय होने की स्थिति में आवेदक संस्थान के द्वारा जमा राशि की सीमा तक Work Study कराई जाकर विशेष प्रकरण तैयार कर विशेष नॉर्म्स की स्वीकृति इस कार्यालय से ली जाये।

(7) विषयांकित प्रकरण अंतर्गत 15307 नग वृक्ष विदोहन की अनुमति भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-02) के द्वारा दी गई सशर्त स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भ क्रमांक-03) विदोहन की समस्त शर्तों का पालन कराया जाना प्रकरण के वनमण्डलाधिकारी सह नोडल अधिकारी सरगुजा वनमण्डल का दायित्व रहेगा। उक्त का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

(8) उपरोक्त तालिका में दर्शित प्रत्यावर्तित संरक्षित वनभूमि के प्रभावित रकबा 91.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन कुल 15307 नग वृक्षों के विदोहन कार्य एवं संदर्भित पत्र/4010 दिनांक 07.12.2023 में उल्लेखित 167 नग ठूंठ से संबंधित प्रस्ताव अनुरूप कार्यवाही की जाये। विदोहन कार्य पूर्ण रूप से वन विभाग द्वारा किये जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त शर्तो का पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

(9) विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

क्रमशः 7 ......

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.1/536/2022-कटाई अनु.क.-52/1834
प्रतिलिपि:- नवा रायपुर, अटलनगर, दिनांक 11/12/2023

1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख , अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दि. 04.04.2022 एवं पत्र क./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2715, दिनांक 08.12.2023, के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया नोडल विभाग की हैसियत से आप अपने स्तर से उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा द्वारा प्रेषित जानकारी की पुष्टि करने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तो के सशर्त पालन किए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त को निर्देश जारी करें।

3. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल (प्रकरण के नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. Superintending Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath , Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure-XI

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2024 / 6162 अम्बिकापुर, दिनांक 22/08/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg.**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / 14 / उत्पा–1 / 536–II / 2024–कटाई अनु.क्र–62 / 1599 दिनांक 21.08.2024

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक परियोजना रकबा 1898.328 हे. से कोयला उत्खनन कार्य हेतु MOEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02.02.2022 एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर के पत्र दिनांक 25.03.2022 (द्वितीय चरण स्वीकृति) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Diversion of 1898.328 ha. of forest land for Parsa East and Kete Basen Captive Coal Block Open Cast Mining Project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in South Surguja Forest Division in Surguja district of Chhattisgarh. Grant of Permission for mining over Phase-II area-reg हेतु 10वें वर्ष में संरक्षित वनभूमि रकबा 74.130 हे. वनभूमि में स्थित 10944 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति शर्तें अधिरोपित कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि वृक्षों के विदोहन हेतु प्रदत्त अनुमति तहत् अधिरोपित शर्तो का कड़ाई से पालन करते हुए उक्तानुसार पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–08 / 2024 / 6163 अम्बिकापुर, दिनांक 22/08/2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. **Superintending Engineer,** Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक,सेक्टर-१९, अटल नगर,नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

(शाखा-उत्पादन)

फोन नं. 0771-2512822 ईमेल- apccf-production.cg@gov.in

क्रमांक/14/उत्पा 1/536-II/2024-कटाई भा.व 62/1519 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21/08/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना से कोयला उत्खनन कार्य हेतु Phase-II के तहत 10वें वर्ष में कक्ष क्रमांक पी 2005, पी 2004, पी. 2003, पी. 2019 एवं पी. 2106 कुल रकबा 74.130 हे वनभूमि में खड़े वृक्षों के विदोहन की अनुमति बाबत।

(Diversion of 1898.328 ha. in two phase of forest land for parsa east and kete basan captive coal block open cast mining project in favour of M/s Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL) in village Parsa and Kete, Tehsil Udaipur, District Surguja Chhattisgarh. Grant of permission for mining over Phase-II area-reg.)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-08/2024/1565 दिनांक 14.06.2024 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-08/2024/1645 दिनांक 25.06.2024
2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 06.07.2011 (प्रथम चरण) , पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 15.03.2012 एवं पत्र क्रमांक/ F.No. 8-31/2010-FC दिनांक 02.02.2022 (द्वितीय चरण)(Phase-II)
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ. 5-4/2010/10-2 दिनांक 28.03.2012 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ. 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दिनांक 04.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/1570, दिनांक 02.07.2024 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2021, दिनांक 16.08.2024

-:0:-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 14.06.2024 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण सरगुजा वनमण्डल हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) के अनुसार द्वितीय चरण के अंतर्गत सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत व्यपवर्तन क्षेत्र के Phase-II के तहत 10वें वर्ष में कक्ष क्रमांक पी. 2005, पी.2004, पी. 2003, पी. 2019 एवं पी. 2106 कुल रकबा 74.130 हे. वनभूमि में संबंधित प्रकरण के तहत संरक्षित भूमि में प्रभावित 10944 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें दर्शित विवरण निम्नानुसार है :-

1.1/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र-ख) निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	रिमार्क (चिन्हित ठूंठ पोलार्ड वृक्ष संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2005	15.100	1210	17
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2004	25.700	2444	56
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2003	13.620	1828	31
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2109	3.750	929	5
5	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2106	15.960	4533	46
योग					**74.130**	**10944**	**155**

1.2/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ख 01) निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

अनु क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी 2005	15.100	साल	396	370.344	102.732	473.076
						साजा, अर्जुन	3	1.500	0.375	1.875
						अन्य	811	124.921	113.326	238.247
योग :-							**1210**	**496.765**	**216.433**	**713.198**
2	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2004	25.700	साल	798	762.670	235.230	997.900
						बीजा, तिन्सा, शीशम, खम्हार	3	0.260	0.651	0.911
						साजा, अर्जुन	36	16.906	6.671	23.577
						अन्य	1607	152.150	179.126	331.276
योग :-							**2444**	**931.986**	**421.678**	**1353.664**

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (आरक्षित/ संरक्षित)	कक्ष क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
						प्रजाति	संख्या	इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2003	13.620	साल	450	264.737	79.715	344.452
						बीजा, तिन्सा शीशम, सम्हार	3	0.245	0.613	0.858
						साजा, अर्जुन	13	2.630	1.671	4.301
						अन्य	1362	88.465	89.248	177.713
			योग :-				1828	356.077	171.247	527.324
4	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2100	3.750	साल	151	55.362	24.210	79.572
						साजा, अर्जुन	6	1.385	0.538	1.923
						अन्य	772	31.405	36.731	68.136
			योग :-				929	88.152	61.479	149.631
5	सरगुजा	उदयपुर	संरक्षित	पी. 2106	15.960	साल	1200	258.116	114.123	372.239
						बीजा, तिन्सा शीशम, सम्हार	4	0.018	0.045	0.063
						हल्दू, मुण्डी, कसई	3	0.069	0.174	0.243
						साजा, अर्जुन	78	6.274	4.628	10.902
						अन्य	3248	115.583	131.098	246.681
			योग :-				4533	380.060	250.068	630.128
			महायोग :-				10944	2253.04	1120.905	3373.945

1.3/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र-ग में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु.क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि)	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							क्रमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--- निरंक ---									

1.4/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत प्रत्यावर्तित की जाने वाली राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र सहित) में विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या तथा अनुमानित उत्पादन का विवरण (प्रपत्र-ग-01 में दर्शित अनुसार) जिसकी जानकारी आपके प्रतिवेदन में संलग्न गोशवारा में निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वन का प्रकार (राजस्व वनभूमि/ नारंगी वन क्षेत्र)	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	प्रभावित रकबा (हे.में)	कलेक्टर की अनापत्ति के अनुसार विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		अनुमानित उत्पादन		
							प्रजाति	संख्या	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ काष्ठ (घ.मी.)	योग (घ.मी.) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--- निरंक ---											

1.5/- सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में विदोहित किए जाने वाले वृक्षों का विवरण (प्रपत्र-घ) निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

अनु. क्र.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे में)	कलेक्टर की अनुमति से विदोहित किये जाने वाले वृक्षों का विवरण		रिमार्क
							क्रमांक/ दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- निरंक -									

1.6/- परिवहन, कटाई एवं ढुलाई व्यय हेतु पी.डी. खातें में जमा किए गए राशि का विवरण (प्रपत्र- ड.) :-

वनमण्डल	चालान क्रमांक/ डी.डी.क्र	दिनांक	जमा खाते का विवरण पत्र क्र./ दिनांक	राशि का विवरण परिवहन, कटाई एवं ढुलाई (राशि रु में)
1	2	3	4	5
सरगुजा	चा.नं. 13058 डी.डी.नं. 915194	20.06.2024 13.06.2024	8443 Civil Deposit 106 PD Account no. 0299008	**2,77,83,463/-**
योग				**2,77,83,463/-**

1.7/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वृक्षों के विदोहन हेतु अब तक दी गई स्वीकृति का विवरण (प्रपत्र-च) :-

अनुक्रमांक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा अब तक जारी अनुमति का विवरण		रिमार्क (प्रभावित रकबा हे.में)
	क्रमांक/दिनांक	वृक्षों की संख्या	
1	2	3	4
1	560/31.03.2012	21465	222.100
2	792/10.06.2015	14173	254.243
3	1845/25.10.2016	8609	52.199
4	1201/29.06.2018	15224	59.760
5	383/25.02.2019	10779	70.150
6	1431/14.12.2020	13133	95.442
I[st] Phase (762.000 Ha.)		**83383**	**753.894**
7	1596/05.05.2022	7960	43.630
8	1833/11.12.2023	15307	91.130
II[nd] Phase (1136.000 Ha.)		**23267**	**134.760**
योग :-		**106650**	**888.654**

2/ उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 15.03.2012 एवं दिनांक 02.02.2022 के द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत Parsa East and Kete Basan Coal Block (PEKB) से कोयला उत्खनन कार्य हेतु द्वितीय चरण (Phase-II) हेतु स्वीकृत रकबा 1654.109 हे. में से 10वें वर्ष के लिये 1136 हे. में से 74.130 हे. वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत दी गई सशर्त अनुमति एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/1570 दिनांक 02.07.2024 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2021, दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रश्नाधीन 10944 नग वृक्षों के विदोहन की अनुशंसा की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तालिका संदर्भित पत्र क्र 01 में दर्शित विवरण के अनुसार संरक्षित वनभूमि के रकबा 74.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन 10944 नग वृक्षों के विदोहन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 15.03.2012 एवं दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-2) द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति में उल्लेखित अधिरोपित शर्तें एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाने की शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ 5-4/2010/10-2 दिनांक 25.03.2022 (संदर्भित पत्र क्रमांक-3) में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाये।

(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2021, दि. 16.08.2024 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 15.03.2012 द्वारा जारी अनुमति अनुसार 1654.109 ha. of forest land and 244.119 ha. of notified revenue forest land सही है के आधार पर की गई अनुशंसा अनुसार यह अनुमति प्रदान की जाती है।

(4) मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना अनुसार, प्रकरण अंतर्गत 10944 नग वृक्ष के विदोहन योजना अंतर्गत होने वाले व्यय जिसमें कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि व्यय शासन व विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर आवेदक संस्थान के द्वारा सरगुजा वनमण्डल के पी.डी. खाते में जमा की गई राशि से किया जावे।

(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक/नि.स./का.आ./456, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप समतुल्य पातन की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(6) विदोहन योजना के संबंध में समय-समय पर भारत शासन/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा जारी निर्देशो का पालन भी किया जावे।

(7) प्रश्नाधीन प्रकरण में संबंधित संस्थान द्वारा सरगुजा वनमण्डल हेतु व्यय राशि का उपयोग उपरोक्त तालिका 1.6 (प्रपत्र- ड.) में दर्शित विवरण अनुसार पी.डी. खाता मे निर्धारित मद 8443, सिविल डिपोजिट 106 मद प्रकरण अंतर्गत कटाई, ढुलाई एवं परिवहन इत्यादि हेतु होने वाले संभावित व्यय हेतु संदर्भित पत्र दिनांक 25.06.2024 के दर्शित विवरण अनुसार कार्य किया जावें।यदि विदोहन कार्य हेतु शासन एवं विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित नार्म्स एवं जॉबदरों पर विशेष परिस्थितियों के कारण विदोहन कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स से अधिक व्यय होने की स्थिति में आवेदक संस्थान के द्वारा जमा राशि की सीमा तक Work Study कराई जाकर विशेष प्रकरण तैयार कर विशेष नॉर्म्स की स्वीकृति इस कार्यालय से ली जाये।

(8) विषयांकित प्रकरण अंतर्गत 10944 नग वृक्ष विदोहन की अनुमति भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 15.03.2012 एवं दिनांक 02.02.2022 (संदर्भ क्रमांक-02) के द्वारा दी गई सशर्त स्वीकृति एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 25.03.2022 (संदर्भ क्रमांक-03) विदोहन की समस्त शर्तों का पालन कराया जाना प्रकरण के वनमण्डलाधिकारी सह नोडल अधिकारी सरगुजा वनमण्डल का दायित्व रहेगा। उक्त का पालन किया जाना सुनिश्चित हो।

(9) उपरोक्त तालिका में दर्शित प्रत्यावर्तित संरक्षित वनभूमि के प्रभावित रकबा 74.130 हे. में स्थित प्रश्नाधीन कुल 10944 नग वृक्षों के विदोहन कार्य एवं संदर्भित पत्र/1565 दिनांक 14.06.2024 में उल्लेखित 116 नग ट्री ट्रान्सप्लांटेशन हेतु पौधों की संख्या से संबंधित प्रस्ताव अनुरूप कार्यवाही की जाये। विदोहन कार्य पूर्ण रूप से वन विभाग द्वारा किये जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त शर्तो का पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती है।

(10) विदोहन के उपरांत डिपो में प्राप्त वास्तविक मात्रा की जानकारी निर्धारित मासिक प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.1/536-II/2024-कटाई अनु.क्र.- 62/1600 नवा रायपुर, अटलनगर, दिनांक 21/08/2024

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/771, दि. 04.04.2022, पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/1570, दिनांक 02.07.2024 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-45/2021, दिनांक 16.08.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक (संदर्भ क्रमांक-2 के अनुसार) के पत्र दिनांक 02.02.2022 में 1654.109 ha. of revenue forest land and 244.219 ha. of notified forest land के परिप्रेक्ष्य में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 16.08.2024 अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त नोडल विभाग की हैसियत से आप अपने स्तर से उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा द्वारा प्रेषित जानकारी की पुष्टि करने एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उल्लेखित शर्तो के सशर्त पालन किए जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त को निर्देश जारी करें।

2. वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल (प्रकरण के नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. Superintending Engineer, Rajasthan Rajya Vidyut Utapadan Nigam Ltd. Vidyut Bhawan Janpath, Jyoti Nagar Jaipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़

Annexure-6

Relevant information with regards to Hon'ble National Green Tribunal Principal bench, New Delhi's order dated 07.11.2024 in Original Application No. 1080/2024

Submitted by the Forest Survey of India to the Nodal authority

Table of contents

Table of contents	1
Background	2
Location of the mine	3
Were around 15,000 trees cut?	7
Progressive deforestation in PEKB coal mine area	8
Summary	17

Background

In their order dated 07.11.2024 in Original Application No. 1080/2024, the Hon'ble National Green Tribunal Principal bench, New Delhi constituted a Joint Committee comprising, *inter alia*, a representative of Director General, Forest Survey of India, Dehradun.

Representative of MoEF&CC has been made the nodal authority for coordination and compliance.

The said committee has been directed **to collect relevant information**, if necessary, after visiting site, and **submit a factual report** within six weeks.

Forest Survey of India (FSI) is an organization under the Ministry of Environment & Forests, Government of India Its principal mandate is to conduct survey and assessment of forest resources in the country. Points on which relevant information has been collected by FSI are as under:

1. Where is the mine located?
2. Were around 15,000 trees cut?
3. Satellite-based time series imagery of the area.

Location of the mine

1. Parsa East Kanta Basan (PEKB) coal block is situated in Surguja district, around 10 km from Lemru Elephant Reserve.

Location map of PEKB coal block with district boundaries

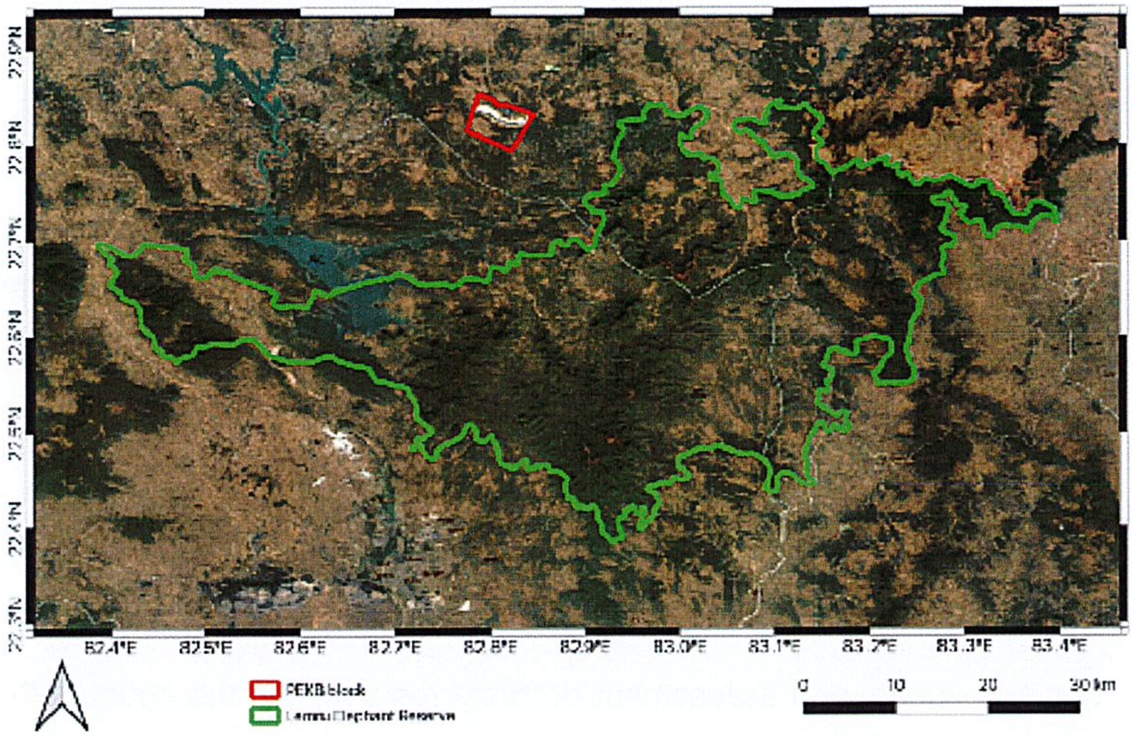

Source: Boundaries received from MoEF&CC.

2. The mine and colliery cover the Northern portion of the PEKB block, and further extension is occurring towards the South.

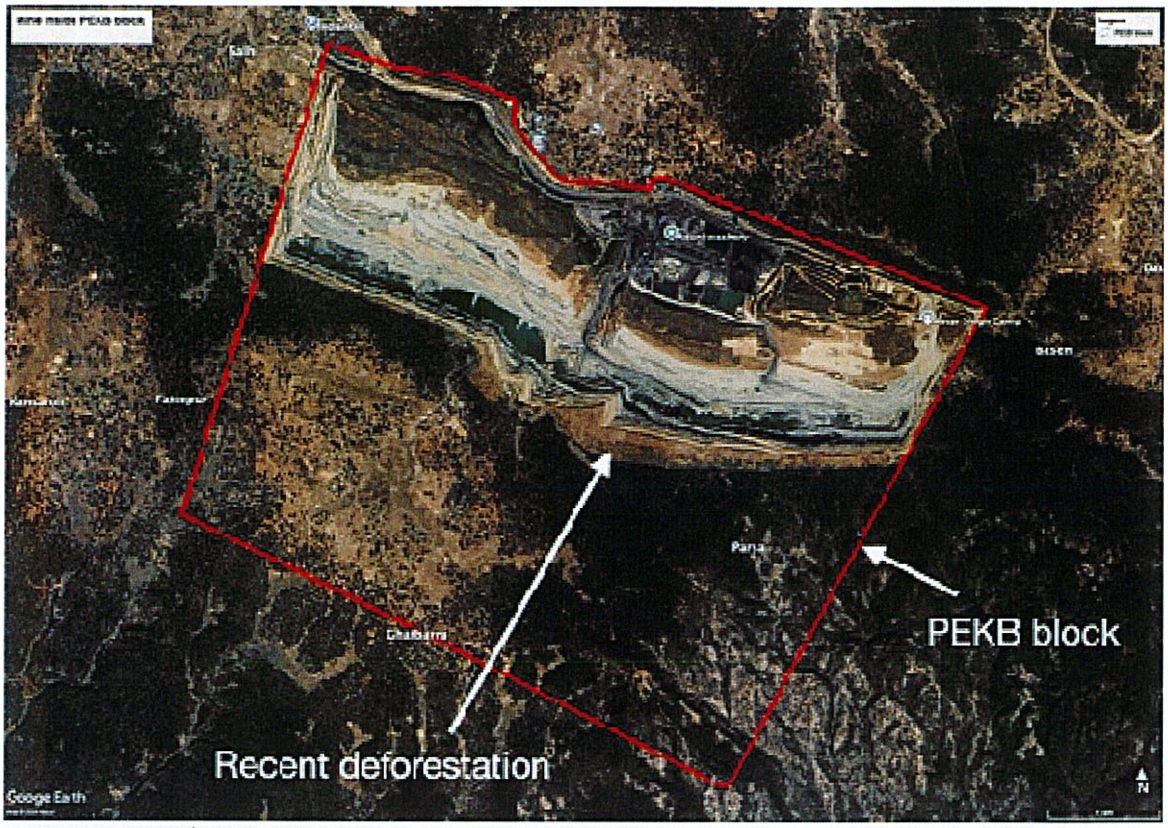

Source: Boundaries received from MoEF&CC overlaid on satellite imagery dated 28 December 2023.

3. Forest canopy density map reveals Very Dense Forests (Canopy Density ≥ 0.7) to Open Forests (Canopy Density 0.1 — 0.4), besides non-forest and water areas. In particular, the already mined area in the Northern part of the PEKB block earlier had Open Forests (Canopy Density 0.1 — 0.4) and Moderately Dense Forests (Canopy Density 0.4 — 0.7). This region has already been deforested, together with some

Very Dense Forests (Canopy Density ≥ 0.7) towards the East, as observed in the data from the India State of Forest Report 2011.

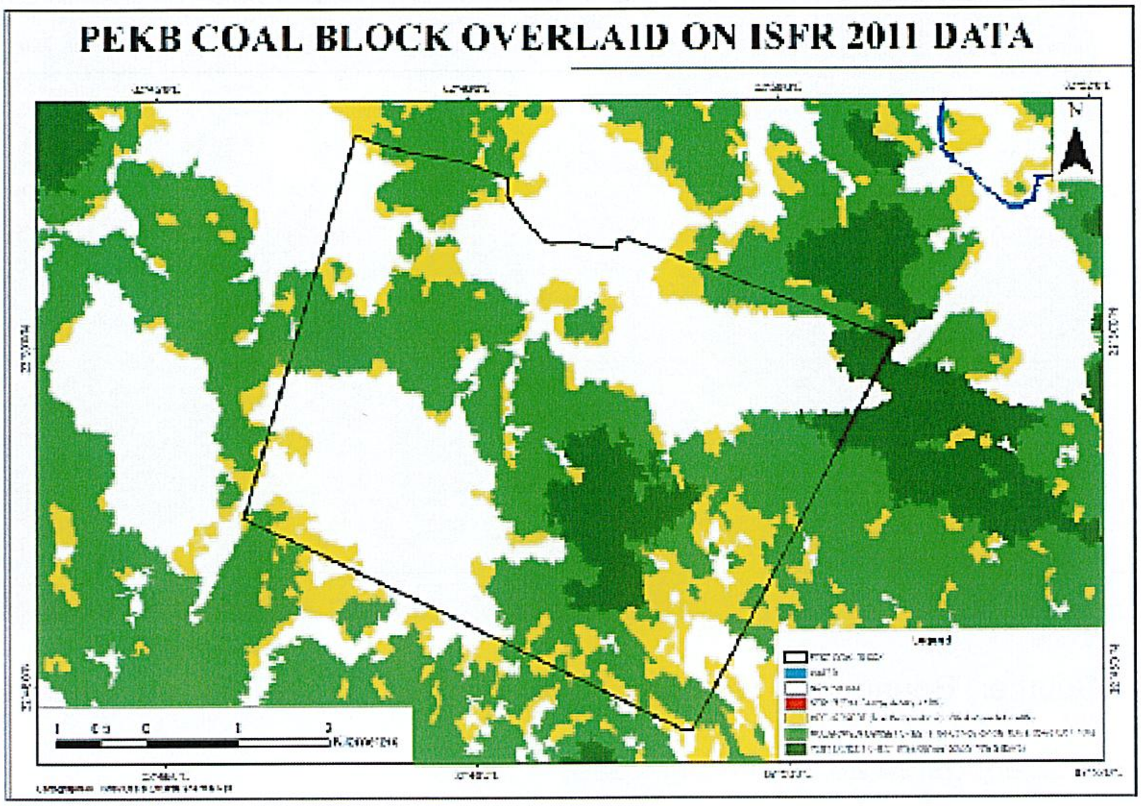

Source: India State of Forest Report 2011 (data for the year 2009)

4. The continuing expansion towards the South will now include Very Dense Forests (Canopy Density ≥ 0.7) and Moderately Dense Forests (Canopy Density 0.4 – 0.7), as observed in the data from the India State of Forest Report 2021.

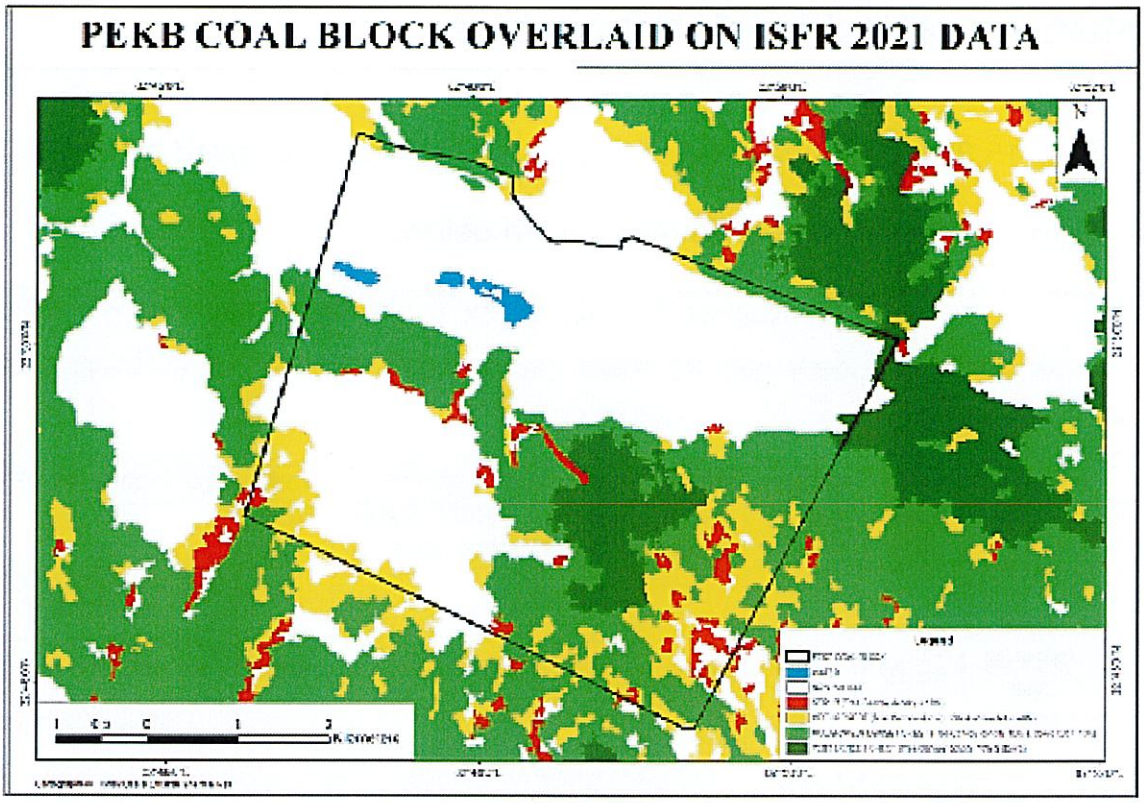

Source: India State of Forest Report 2021 (data for the year 2019)

Were around 15,000 trees cut?

1. Yes, 15,307 trees were felled. Source: Brief note received from DFO Surguja; relevant portion is reproduced below:

वर्ष 2023–24 में 91.130 हे. क्षेत्र में वृक्ष विदोहन योजना अनुसार विदोहन की अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

विदोहन वर्ष	कुल रकबा (हे. में)	मार्कशुदा वृक्षों की कुल संख्या	विदोहित वृक्षों की संख्या	शेष वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन इमारती काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टा	वृक्ष विदोहन की अनुमति
नौ वर्ष (2023–24 तक) भाग–2	91.130	15307	15307	00	4050.395	3358	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पृ क्रमांक / 14 / उ.प्रा.–1 / 598 / 2022 / कटाई अनु.क्र. 61 / 1834 दिनांक 11.12.2023 **Annexure - X**

Progressive deforestation in PEKB coal mine area

1. Deforestation in year 2023-24 is observed in the Anavaran application of the Forest Survey of India. This application highlights areas where tree loss has been detected using satellite imagery in the past one year.

2. It is important to note that the area has been showing continuous and progressive deforestation since the year 2011. Cloud-free composites

generated from satellite imageries of August to December of various years are depicted below.

3. Imagery of the year 2001:

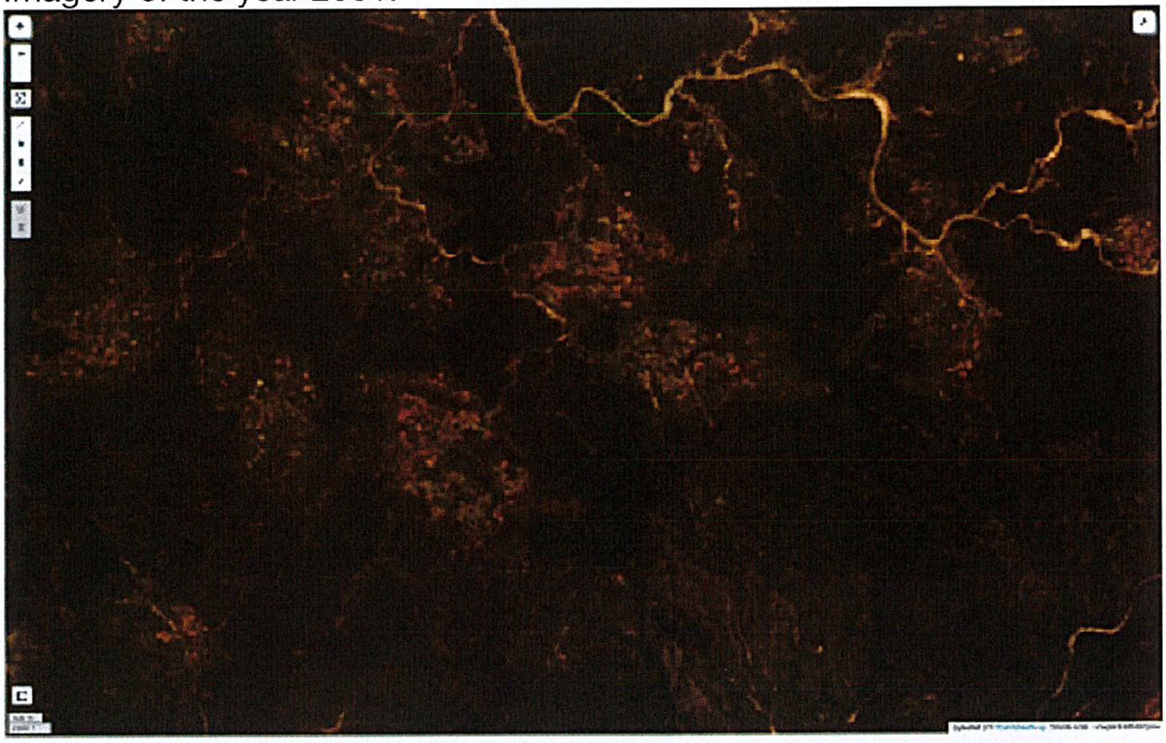

4. Imagery of the year 2011:

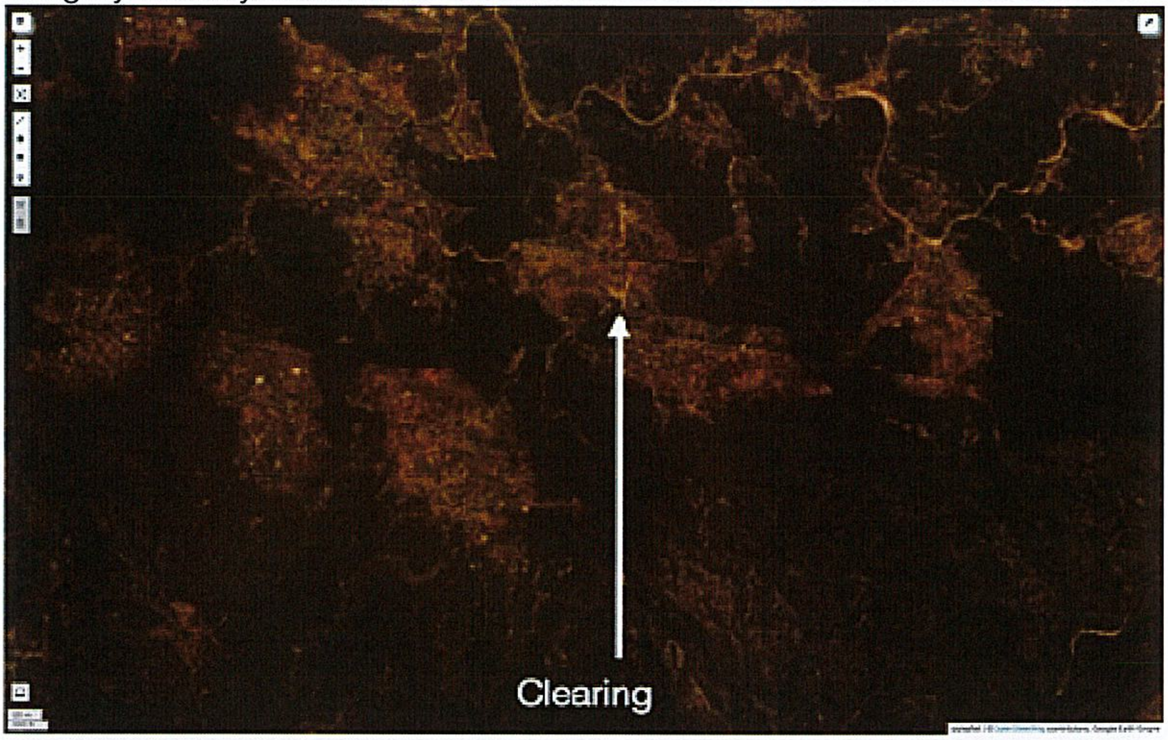

5. Imagery of the year 2012:

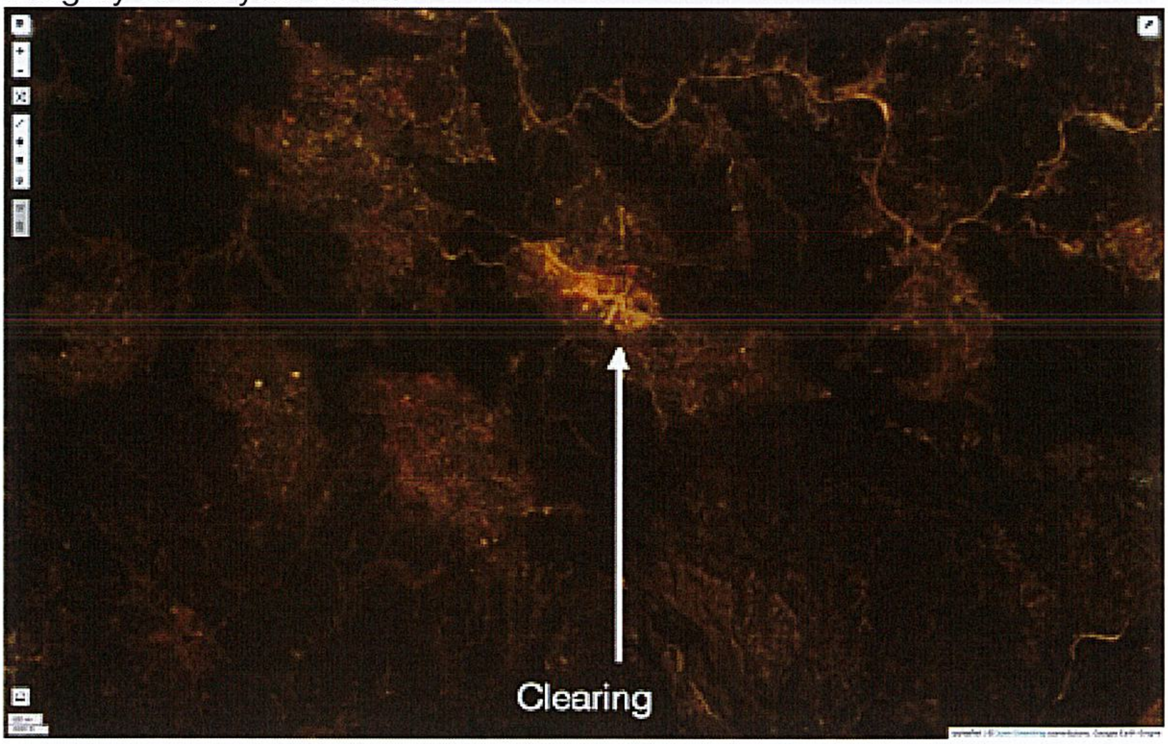

6. Imagery of the year 2013:

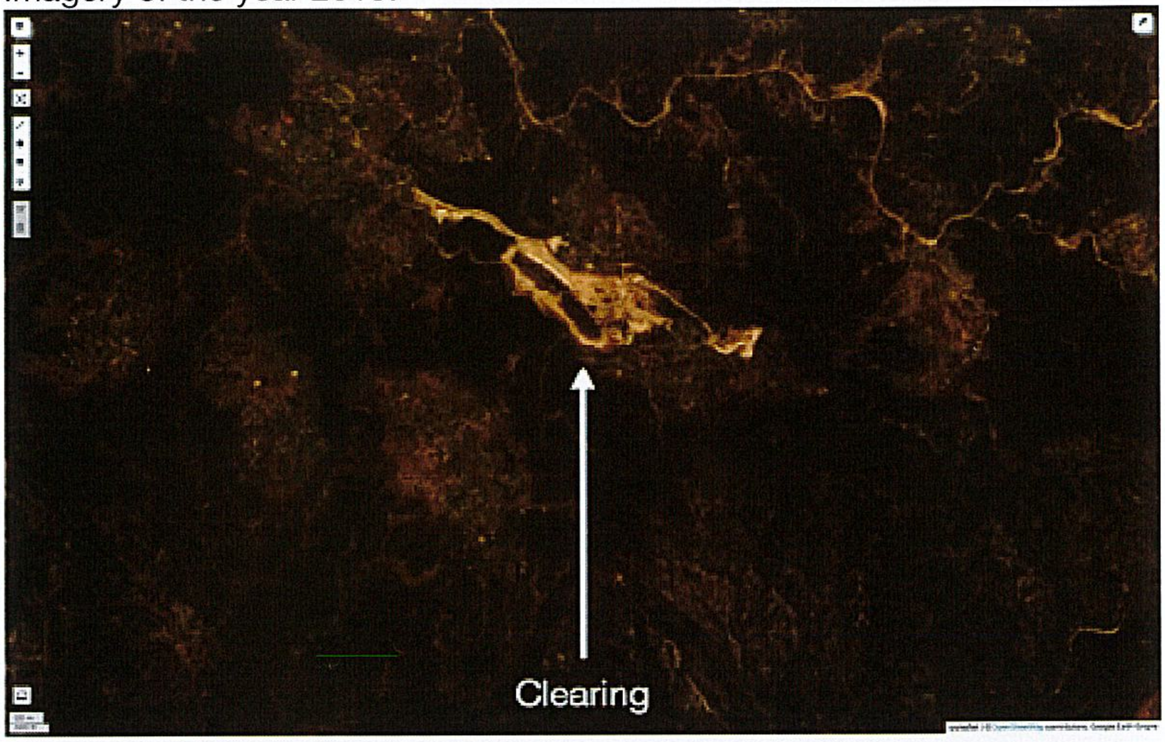

7. Imagery of the year 2014:

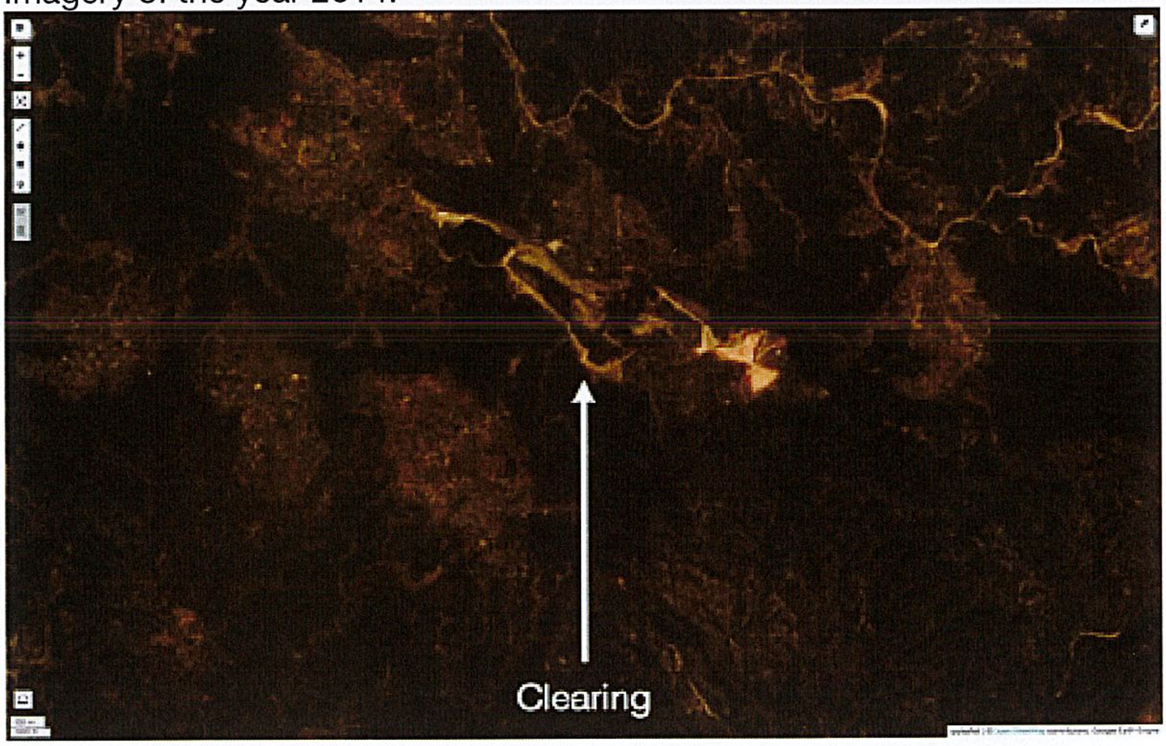

8. Imagery of the year 2015:

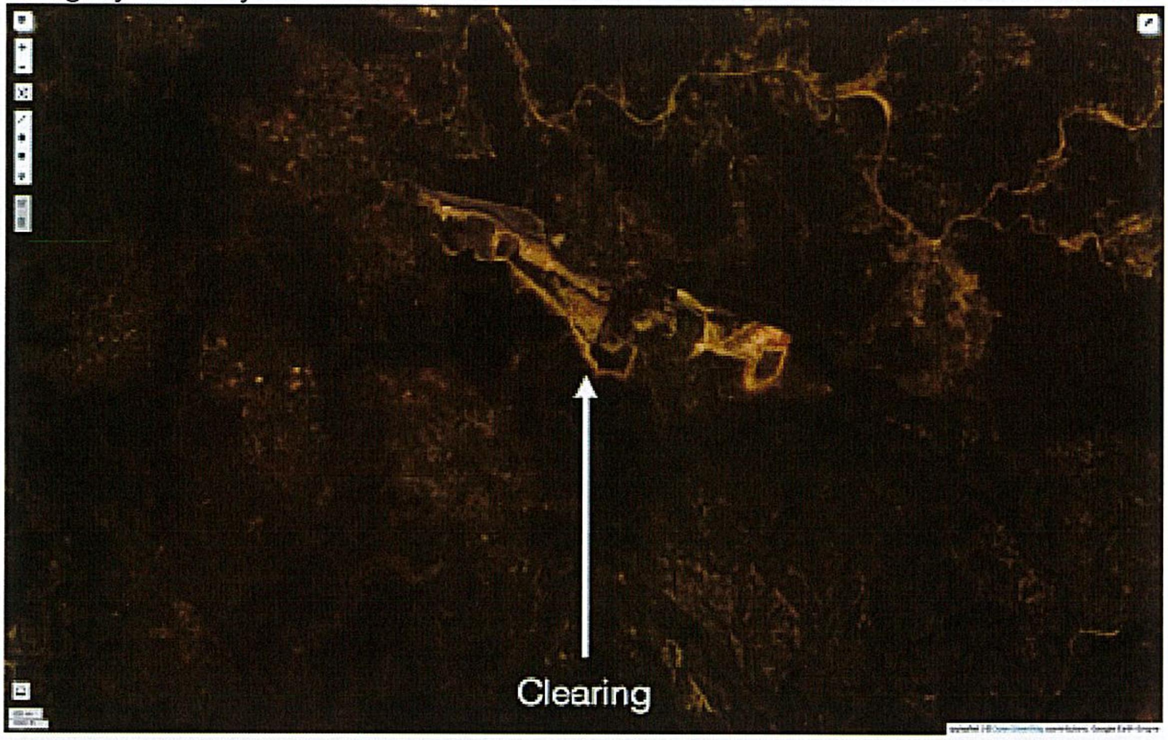

9. Imagery of the year 2016:

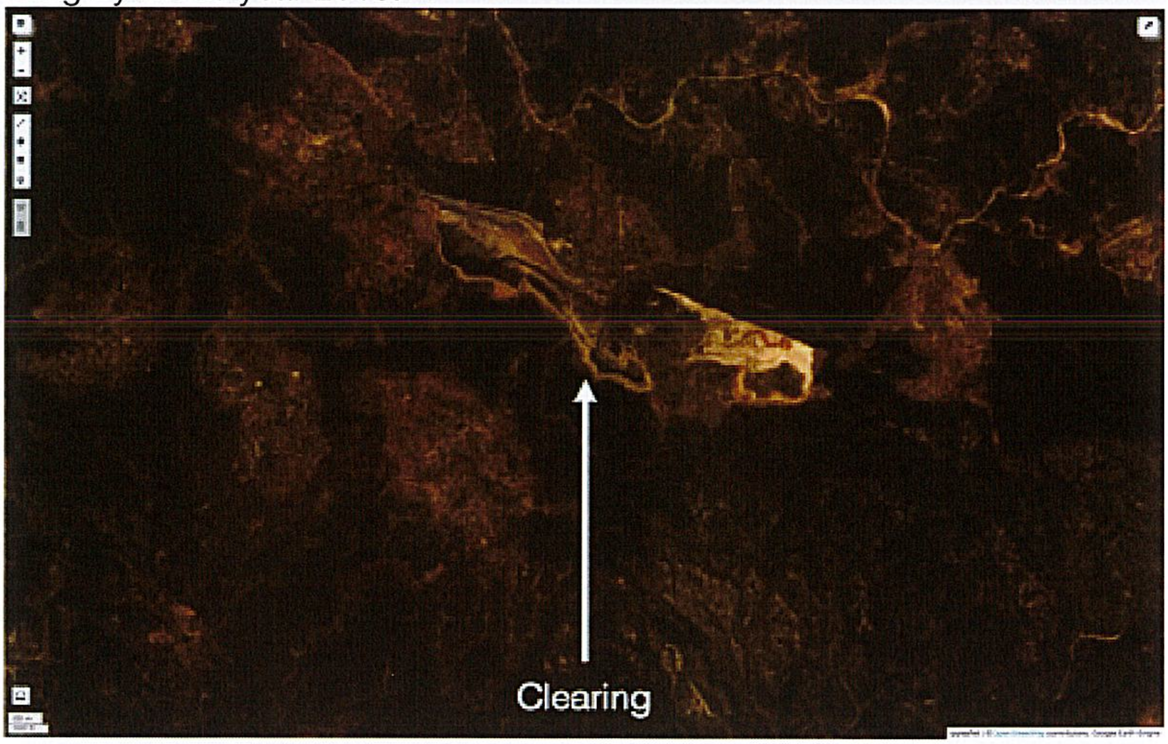

10. Imagery of the year 2017:

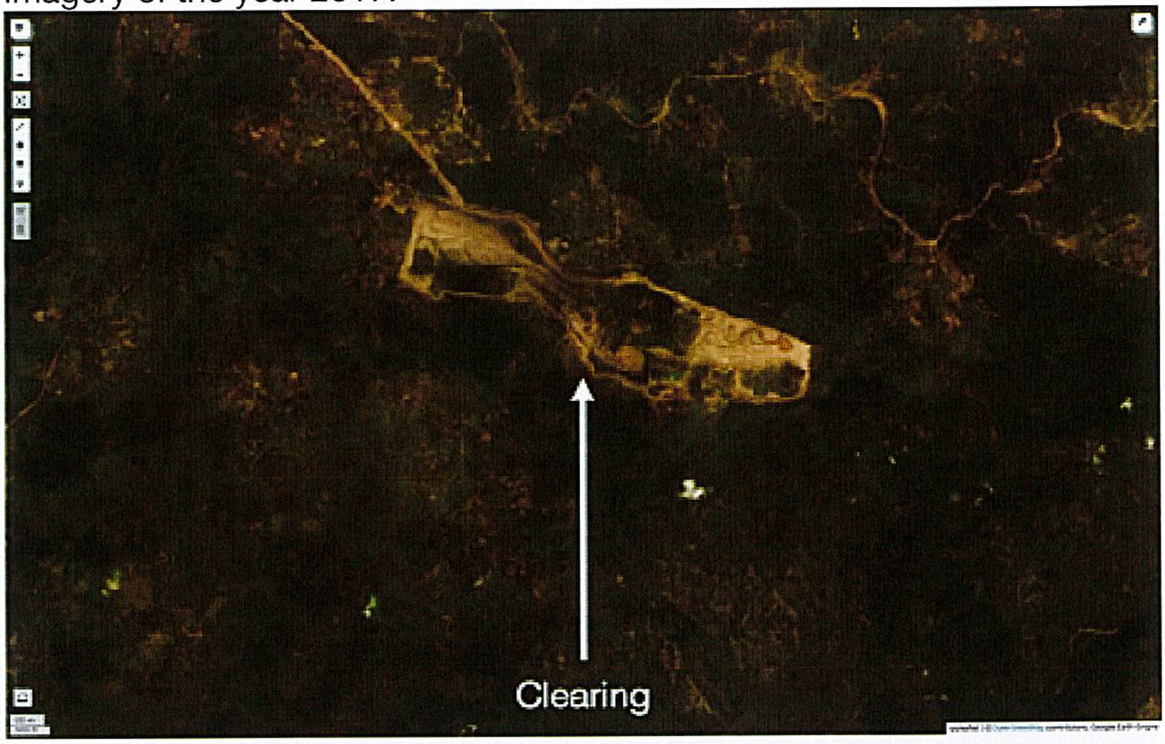

11. Imagery of the year 2018:

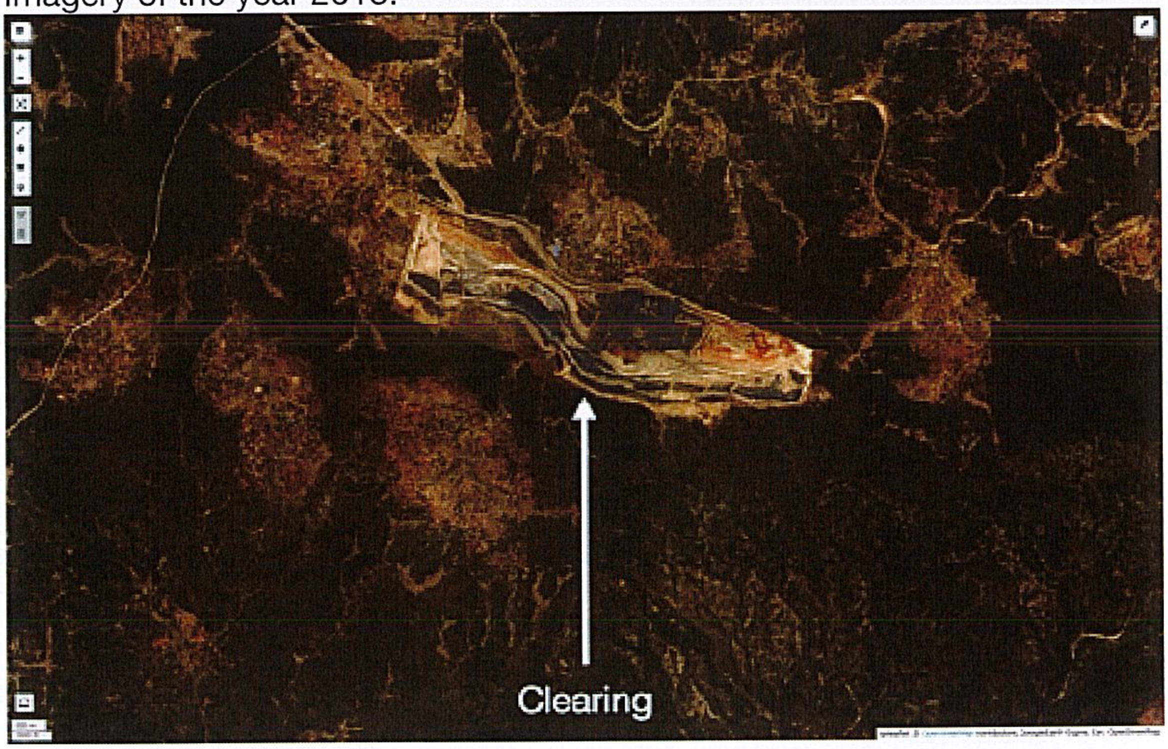

12. Imagery of the year 2019:

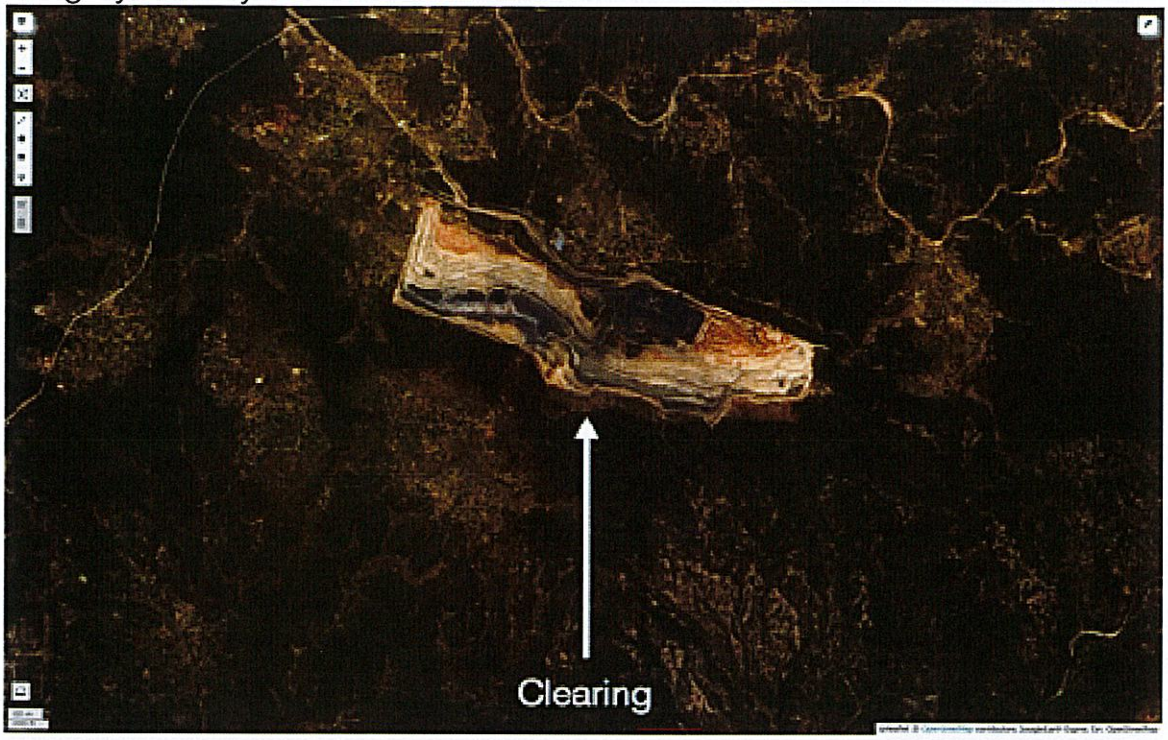

13. Imagery of the year 2020:

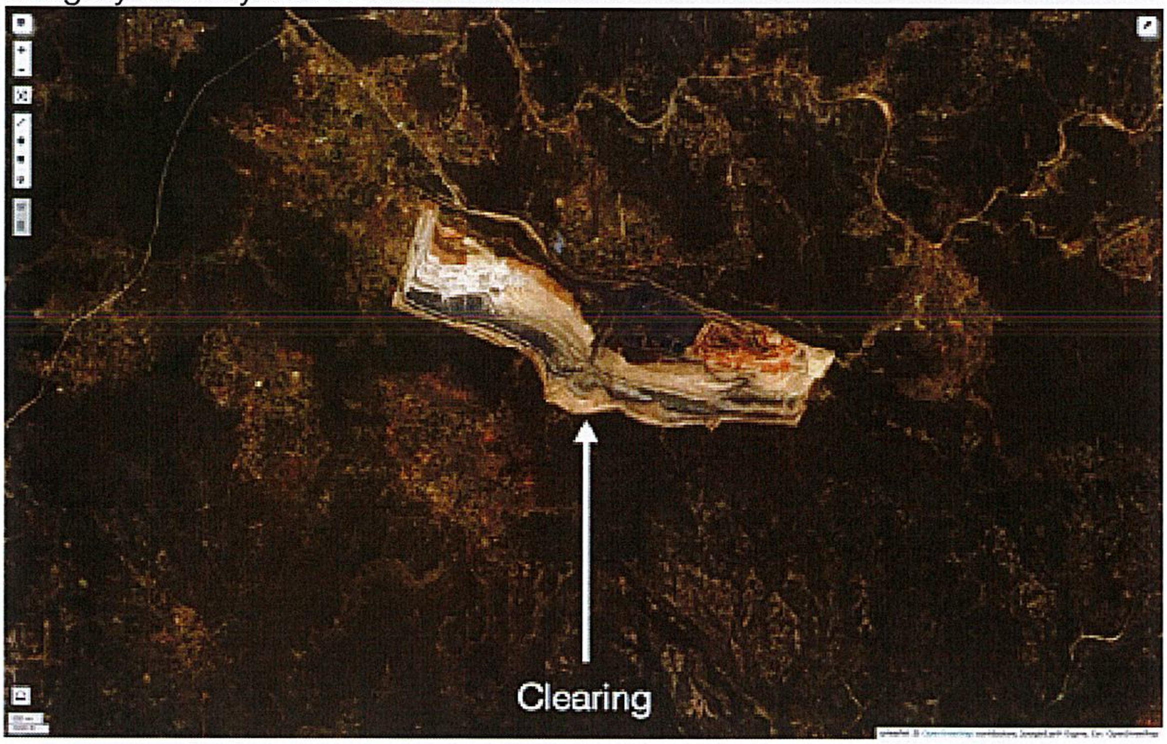

14. Imagery of the year 2021:

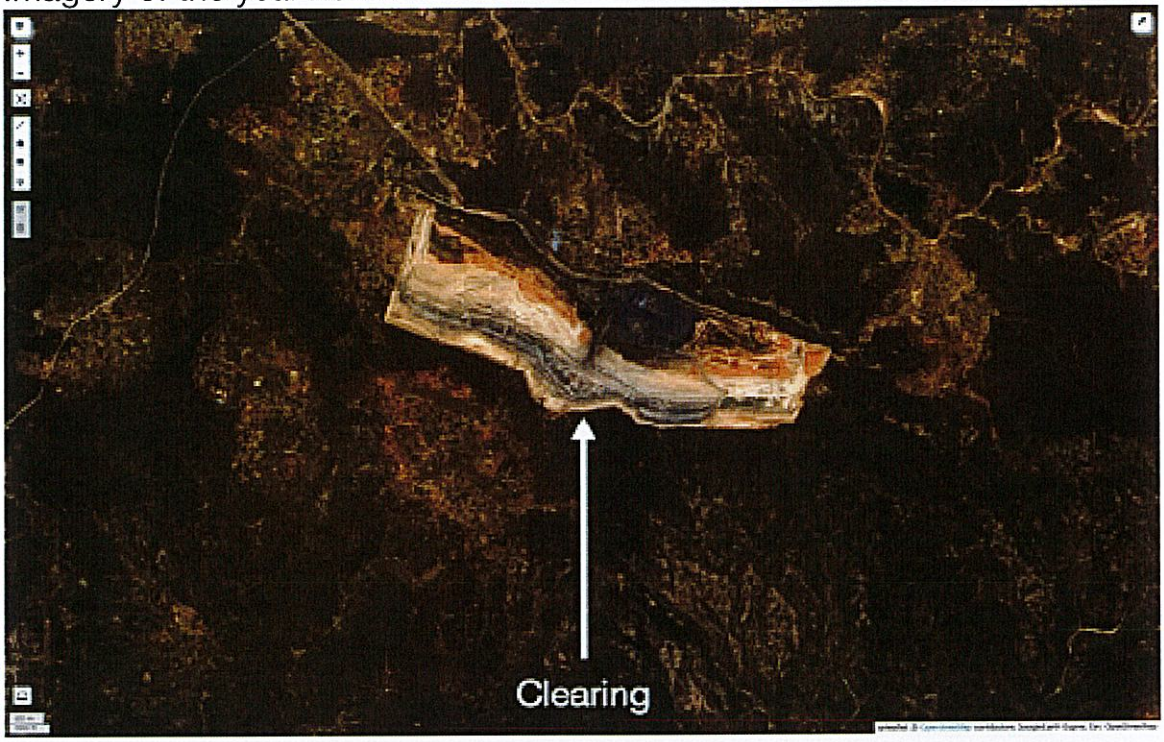

15. Imagery of the year 2022:

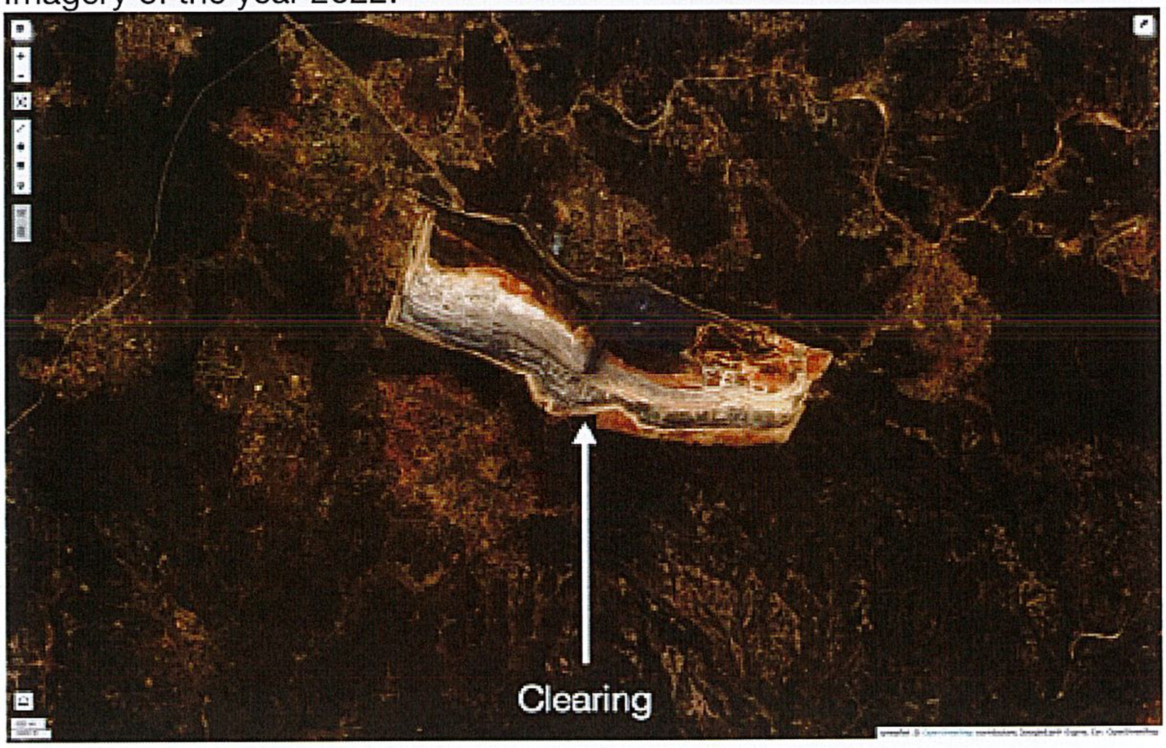

16. Imagery of the year 2023:

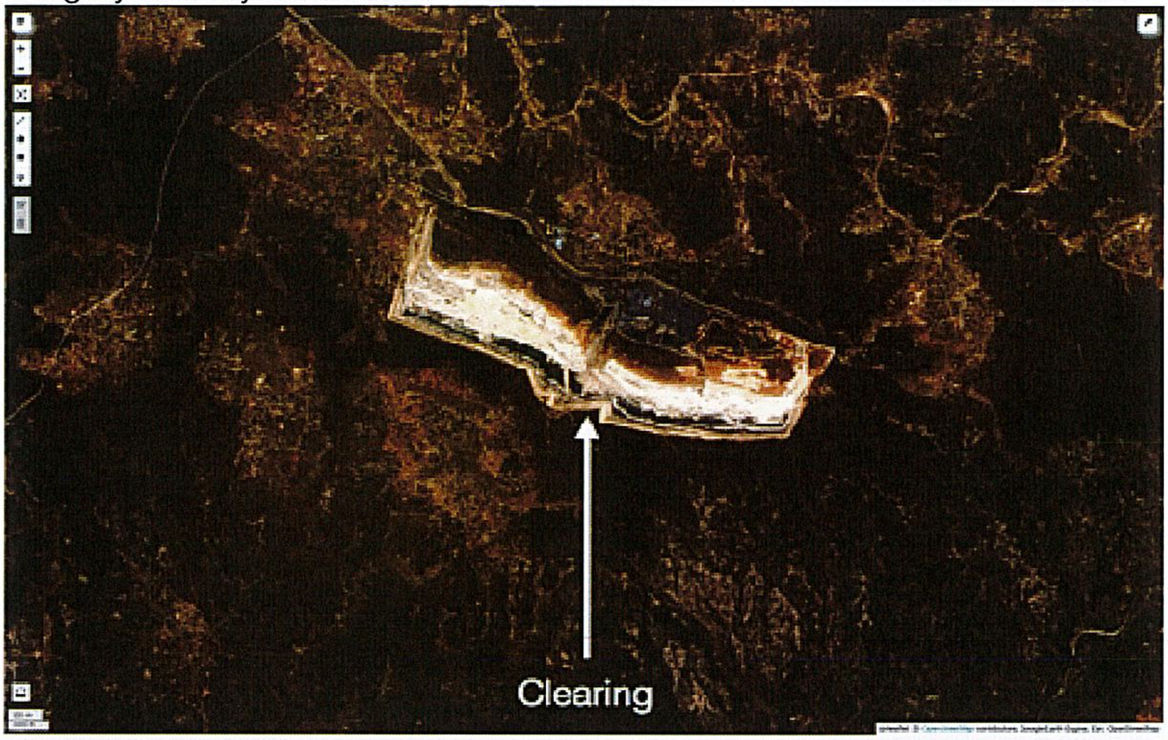

17. Imagery of the year 2024:

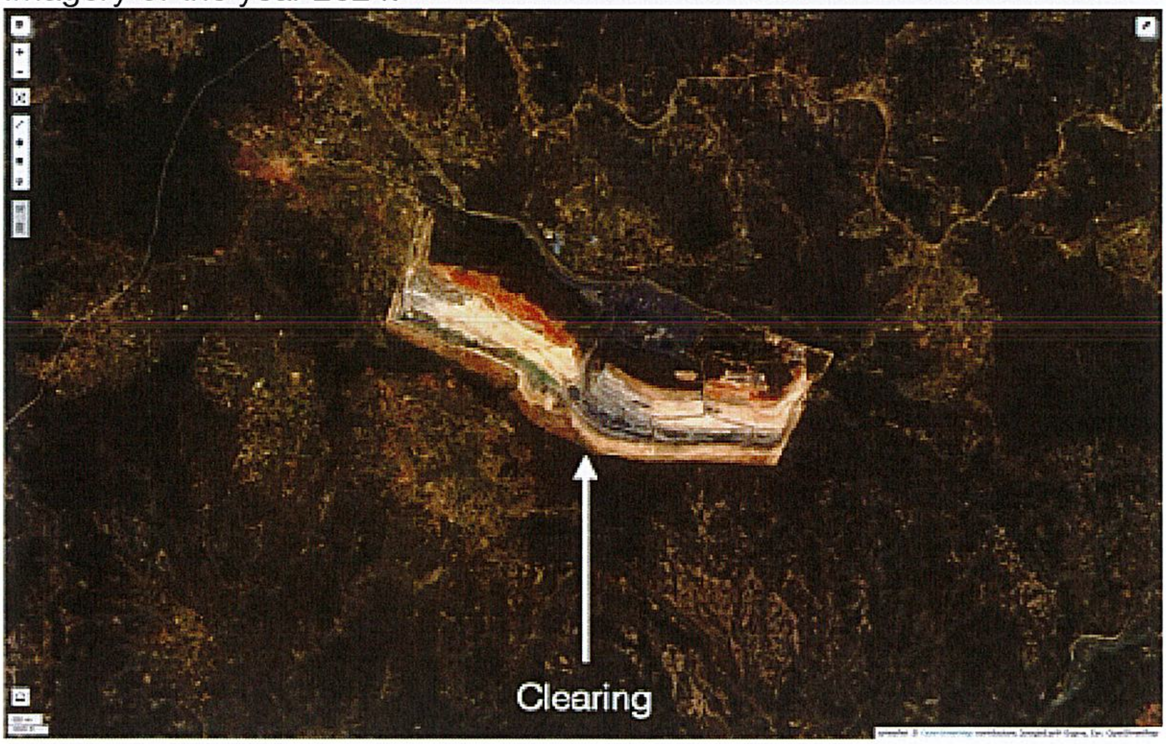

Summary

1. PEKB coal block lies in Surguja district, and expansion of the mine is southwards towards very dense and moderately dense forests.
2. Satellite imagery is provided.